



सत्यमेव जयते

सामुदायिक गतिशीलता शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा भवन निर्माण कार्य



unicef



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़े सब बढ़ें



सर्व शिक्षा अभियान

सामुदायिक गतिशीलता, शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
तथा भवन निर्माण कार्य का तीन दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं निर्देशिका
(सेवारत शिक्षकों के लिए)

-संरक्षक-

श्रीमति शुभ्रा सिंह

आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

-मार्गदर्शन-

श्री चिरंजीलाल, मुख्य अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

श्री दीपक राय, विशेषज्ञ (जल एवं पर्यावरण स्वच्छता)
यूनिसेफ, राजस्थान

श्रीमती अमुधा पेरिआस्मी, परियोजना अधिकारी,
यूनिसेफ कन्द्री ऑफिस, नई दिल्ली

श्री पंकज माथुर जल एवं पर्यावरण स्वच्छता अधिकारी
यूनिसेफ, राजस्थान

श्री निर्मल चित्तौड़ा, सलाहकार
यूनिसेफ, राजस्थान

कार्यकारी दल

श्री उदय भानु माहेश्वरी

डॉ. डी.डी. निमावत

डॉ. राजेन्द्र तातेड़

श्री मनिन्दर सिंह

श्री मनोज माथुर

श्री राजीव सिंह

श्री उमाशंकर शर्मा

श्री योगेश उपाध्याय

श्री कपिल भार्गव

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा

श्री राजेश शर्मा

श्री कमल चौधरी

श्री सत्यनारायण शर्मा

श्री महेन्द्र प्रताप गर्ग

श्री वीरेन्द्र सिंह

तकनीकी अधिकारी, शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
राजस्थान प्रारम्भिक परिषद, जयपुर

सेवानिवृत्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, जयपुर

सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

सहायक अभियन्ता, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

सहायक अभियन्ता, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर

सहायक निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

सहायक परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, भरतपुर

व्याख्याता (डाईट), बांदीकुई, दौसा

प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीली की तलाई, आमेर, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुर

वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीनमाल, जालौर

प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दूनी, दुर्गापुरा, देवली, टोंक

अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोठ्या की ढाणी, नेवटा, सांगानेर, जयपुर

सलाहकार, सी.सी.डी.यू., जयपुर

-लेखन एवं सम्पादन -

श्री गिरीश भारद्वाज

हाईजीन एज्युकेशन अधिकारी

शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

- तकनीकी सहयोग (कम्प्यूटर ग्राफिक्स) -

श्री वरूण गुप्ता

श्री राजेश अग्रवाल

श्री योगीराज यादव

| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|-------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| 1. | 9.00 से 9.30 | पंजीकरण/संदर्भ साहित्य वितरण एवं चाय | <ul style="list-style-type: none"> * सम्भागियों की संख्या जानना * संदर्भ साहित्य एवं सामग्री का वितरण करना | पंजीयन रजिस्टर में नाम, पता आदि दर्ज करना व सामग्री का वितरण करना। | पैन, डायरी, संदर्भ साहित्य |
| 2. | 9.30 से 10.00 (प्रथम सत्र) | शुभारम्भ एवं प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा | <ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण हेतु संभागियों को मानसिक रूप से तैयार करना एवं उनका स्वागत करना। * प्रशिक्षण के उद्देश्यों से अवगत कराना * कार्यक्रम के प्रतिदिन के सत्रों की जानकारी देना। | सर्वधर्म प्रार्थना का सामूहिक रूप से गायन एवं मनन | ----- |
| 3. | 10.00 से 10.45 (द्वितीय सत्र) | | <p>परिचय :-</p> <ul style="list-style-type: none"> * सम्भागियों के बीच झिझक दूर कर कार्यक्रम को सहज बनाना। * सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना। <p>कार्य विभाजन :</p> <p>प्रशिक्षण हेतु नियम निर्धारण करना एवं समूह में कार्य विभाजन करना</p> | व्याख्यान एवं आपसी चर्चा | लिखित एजेण्डा व संदर्भ साहित्य |
| | | | | परिचय की गतिविधि करना | |
| | | | | संभागियों से चर्चा कर उन्हें समूहों में विभिन्न कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपना। | |
| | | | | (जैसे प्रतिवेदन लिखना, भोजन जल, सफाई, समय पर सभी की उपस्थिति आदि कार्य हेतु) | |

| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|------------------------------|--|---|--|--|
| 4. | 12.15 से 12.45 | कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन के पाठ 4 पर आधारित पाठ प्रदर्शन | कक्षा शिक्षण हेतु विषय-वस्तु की शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षकों को अभ्यास कराना। | <ul style="list-style-type: none"> * शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई के तरीकों पर चर्चा व प्रदर्शन * सफाई के अभाव में होने वाले दुष्परिणामों/बीमारियों पर चर्चा | टूथ ब्रश, टंग क्लीनर दाँतों का मॉडल आदि। |
| 5. | 12.45 से 1.30 | सूक्ष्म पोषक तत्व | <ul style="list-style-type: none"> * मानव शरीर के लिये आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करना। * सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों व उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी प्रदान करना। * विद्यालयी बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराने की विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। | <ul style="list-style-type: none"> मानसिक मन्थन, समूह चर्चा सम्भाषण एवं स्वाध्याय प्रस्तुतिकरण | कार्डशीट, स्कैच पैन, परिशिष्ट की सामग्री। |
| 6. | 1.30 से 2.30 2.30 से 3.00 | भोजनावकाश मानव मल का मुख तक संचरण व मलजनित रोग | <ul style="list-style-type: none"> * मानव मल के पुनः शरीर में पहुँचने के विभिन्न माध्यमों की जानकारी देना। * मल जनित बीमारियों व रोकथाम के उपायों की जानकारी देना। * शौचालय निर्माण व उपयोग के महत्व को समझाना। | <ul style="list-style-type: none"> * चार्ट प्रदर्शित कर मल के शरीर में पहुँचने के माध्यमों की जानकारी देना * मल जनित बीमारियों व उनके रोकथाम के उपायों पर अभ्यास करवाना। | <ul style="list-style-type: none"> * मल संक्रमण का चार्ट * विभिन्न बीमारियों, उनके कारण व निवारण के उपायों की सारणी। |

| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 7. | 3.00 से 4.00 | जल की उपलब्धता, उपयोग व रख-रखाव | <ul style="list-style-type: none"> * पृथ्वी पर मानवीय उपयोग हेतु उपलब्ध जल की स्थिति से अवगत कराना। * जल के रखरखाव व शुद्धिकरण के तरीकों की जानकारी देना। | <ul style="list-style-type: none"> * पृथ्वी पर जल उपलब्धता का चित्र प्रदर्शित कर चर्चा करना। * जल चक्र के चित्र का प्रदर्शन कर जल की निरन्तर उपलब्धता की प्रक्रिया को समझाना। जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समूह चर्चा द्वारा समझना। | <ul style="list-style-type: none"> * जल की उपलब्धता व जल चक्र के चित्र। * कार्डशीट, रबड़, स्कैच पैन आदि। |
| 8. | 4.00 से 4.15 4.15 से 6.00 | चाय पर्यावरणीय स्वच्छता के घटक | <ul style="list-style-type: none"> * पर्यावरणीय स्वच्छता के विभिन्न घटकों की अस्वच्छता के कारण फैलने वाली बीमारियों की जानकारी देना। * सोखा गड्ढा बनाने की तकनीकी जानकारी प्रदान करना। | <ul style="list-style-type: none"> * फिल्म प्रदर्शन एवं समूह चर्चा। * व्याख्यान द्वारा सोखा गड्ढा बनाने की जानकारी। | <ul style="list-style-type: none"> * यूनिसेफ द्वारा निर्मित स्वच्छता के सात घटकों की फिल्म। * कार्डशीट, स्कैच पैन आदि। |

| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|----------------|--|--|---|---|
| | 10.45 से 11.00 | पूर्व परख | संभागियों से जल, स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी पूर्व जानकारी लेना | <ul style="list-style-type: none"> * पूर्व परख देकर उन्हें भरवाना * भरे हुए पूर्व परख पत्रों का भोजनावकाश में सन्दर्भ व्यक्ति द्वारा विश्लेषण करना | पूर्व परख प्रपत्र |
| | 11.00 से 11.15 | अल्पाहार | | | |
| | 11.15 से 12.15 | पाठ्य पुस्तकों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी बिन्दुओं का चिह्नीकरण | <ul style="list-style-type: none"> * पाठ्य पुस्तकों में निहित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों से शिक्षकों को परिचित कराना। * कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना। | <ul style="list-style-type: none"> * संभागियों को कक्षावार पाँच समूहों में विभक्त करें। * प्रत्येक समूह को एक-एक कक्षा की पाठ्यपुस्तक व हमारा स्वास्थ्य पुस्तक वितरित करें। * परिशिष्ट-1 के अनुसार दिये गये कक्षावार बिन्दुओं के आधार पर विषय वस्तु का विश्लेषण करायें। * समूहवार विश्लेषित विषय-वस्तु का प्रस्तुतिकरण। | कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकें, पेंसिल रबर, हमारा स्वास्थ्य (पुस्तक कक्षा 1 से 5 तक) प्रपत्र। |

सामुदायिक गतिशीलता, शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा भवन निर्माण कार्य हेतु तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल

द्वितीय दिवस


| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|---|--|--|---|--|
| 1. | 9.00 से 9.45 | प्रार्थना एवं प्रतिवेदन | वातावरण निर्माण, चेतना की जागृति प्रतिवेदन के माध्यम से प्रथम दिवस के विभिन्न प्रकरणों की पुनरावृत्ति। | सामूहिक गीत, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा। | प्रेरणा गीत, प्रतिवेदन |
| 2. | 9.45 से 11.00 | शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम | * सम्भागियों को शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करना। * शिक्षकों में कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना। | * मानसिक मंथन एवं चर्चा * सम्भाषण * स्वाध्याय | * कार्डशीट, स्कैच पेन, कार्यक्रम की जानकारी हेतु हस्त प्रतियां। |
| 3. | 11.00 से 11.15 चाय 11.15 से 12.00 | निर्माण कार्यों की आवश्यकता का आंकलन करना। | * विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। * विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता आंकलन के मापदण्डों की जानकारी प्रदान करना। | * सम्भाषण एवं चर्चा प्रदर्शन | * कार्डशीट, स्कैच पेन आदि। |
| | 12.00 से 1.30 | भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण। | * भवन निर्माण के दौरान आवश्यक तकनीकी जानकारी से सम्भागियों को परिचित करना। * गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के मापदण्डों का निर्धारण करना। | * सम्भाषण व मानसिक विमर्श। * स्वाध्याय, समूह चर्चा व प्रस्तुतिकरण। | * भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण हेतु हस्तप्रति। * कार्डशीट, स्कैच पेन आदि। |

| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|------------------------------|--|--|---|---|
| 4. | 1.30 से 2.30 2.30 से 3.00 | भोजनावकाश भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण। | समूह प्रस्तुतिकरण। | समूह प्रस्तुतिकरण। | कार्डशीट, स्कैच पेन आदि। |
| 5. | 3.00 से 4.00 | शौचालय निर्माण तकनीक। | विद्यालय एवं घरों में बनाए जाने वाले शौचालयों की तकनीकी जानकारी से सम्भागियों को अवगत कराना। | सम्भाषण, मानसिक विमर्श व चर्चा, प्रस्तुतिकरण। | शौचालय विकल्प के चित्र, कार्डशीट, स्कैच पेन आदि। |
| 6. | 4.00 से 4.15 4.15 से 6.00 | चाय बालमित्र विद्यालय एवं कक्ष सज्जा। | विद्यालय भवन को बच्चों के संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक क्षेत्रों के विकास में योगदान देने के अनुरूप विकसित करना। | संभाषण, मानसिक विमर्श चित्र प्रदर्शन एवं समूह चर्चा | विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में किए जा सकने वाले कार्यों के चित्र, कार्डशीट, स्कैच पेन आदि। |

सामुदायिक गतिशीलता, शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा भवन निर्माण कार्य हेतु तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तृतीय दिवस

| सत्र | समय | विषय-वस्तु | उद्देश्य | क्रिया विधि | आवश्यक सामग्री |
|------|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | 9.00 से 9.45 | प्रार्थना एवं प्रतिवेदन | वातावरण निर्माण, चेतना की जागृति प्रतिवेदन के माध्यम से द्वितीय दिवस के प्रकरणों की पुनरावृत्ति। | सामूहिक प्रार्थना व गीत, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा। | प्रेरणा गीत, प्रतिवेदन |
| 2. | 9.45 से 11.00 | गुणात्मक शिक्षा के प्रमुख घटक व समुदाय की भूमिका | * सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देना। * गुणात्मक शिक्षा में सामुदायिक मुखियाओं की भूमिका का निर्धारण करना। | सम्भाषण, समूह चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण। | कार्डशीट, स्कैच पैन आदि। |
| 3. | 11.00 से 11.15 11.15 से 1.00 | चाय बाल संसद का गठन। | * विद्यालय व्यवस्थाओं में छात्र-छात्राओं का सहयोग लेने के लिए। * छात्र-छात्राओं में दायित्व निर्वहन एवं स्वयं करके सीखने व श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिए। | सम्भाषण, समूह चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण। | हस्तप्रति, कार्डशीट स्कैच पैन आदि। |
| 4. | 1.00 से 2.00 2.00 से 3.30 | भोजनावकाश SDMC का गठन एवं दायित्व। | * SDMC सदस्यों के चयन व मनोनयन के मापदण्डों की जानकारी देना। * SDMC सदस्यों के दायित्वों की जानकारी देना। | सम्भाषण, समूह चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण, मानसिक विमर्श | * कार्डशीट, स्कैच पैन आदि। |
| 5. | 3.30 से 4.30 | समापन। | * प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सम्भागियों की प्रतिक्रियाएं जानना। | प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति एवं सुझाव आमन्त्रित कर, संकल्प पत्र भरवाना। | संकल्प पत्र की प्रति। |

प्रथम दिवस



प्रथम सत्र

शुभारम्भ एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य

समय 9.30 से 10.00

उद्देश्य


- :-
1. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के महत्व को समझना।
 2. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सन्दर्भ में शिक्षकों एवं समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना।
 3. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को विद्यालयी शिक्षा से सम्बद्ध करना।
 4. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जीवन कौशलों का विकास करना।
 5. शाला में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्य योजना निर्माण की प्रक्रिया बताना।
 6. विद्यालय में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के उपायों की जानकारी प्रदान करना।
 7. गुणात्मक शिक्षा हेतु सामुदायिक सहभागिता में सक्रियता लाने के तरीकों/प्रक्रियाओं पर सांझा समझ विकसित करना।

चर्चा के बिन्दु

- :-
- * सम्भागियों का औपचारिक स्वागत करना।
 - * तीन दिवसीय शिक्षक-प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करना।

विषय वस्तु

- :-
- “स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का घर है, जो स्वच्छता के धरातल पर ही निर्मित होता है।” इस अवधारणा के माध्यम से सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को स्पष्ट करें कि स्वस्थ रहने के लिये स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब कि व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता का प्रत्येक व्यक्ति ध्यान रखें। छात्र-छात्राओं में बालपन से ही स्वच्छता एवं स्वस्थप्रद आदतों का विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यालय में इन पर विशेष ध्यान दिया जाय। अतः विद्यालयों में शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को




सफलतापूर्वक लागू करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षकों में उद्देश्यानुसार कौशलों का विकास किया जाय। इस हेतु यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

क्रिया विधि :- सन्दर्भ व्यक्ति पंजीयन के उपरान्त औपचारिक स्वागत कर सम्भागियों को तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्यों की उपरोक्तानुसार संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर स्पष्ट करें कि आगामी तीन दिवसों में इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा विद्यालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन की रणनीति बनाई जाएगी।

निष्कर्ष :-

1. सम्भागियों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी।
2. सम्भागी स्वच्छता के महत्व को समझकर स्वयं, विद्यालय एवं समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझेंगे।



द्वितीय सत्र

परिचय सत्र

समय 10.00 से 10.45

उद्देश्य

- :-
- * सम्भागियों का परस्पर संकोच दूर हो सकेगा।
 - * सहभागिता एवं रचनात्मकता की जानकारी हो सकेगी।
 - * संभागियों और सन्दर्भ व्यक्तियों में दूरी कम हो सकेगी।

चर्चा के बिन्दु

:- सम्भागियों का परिचय प्राप्त करना।

विषय-वस्तु/सामग्री

:- कागज की पर्ची सम्भागियों के अनुसार तैयार रखें। पर्चियों पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संकेत देती प्रचलित जोड़ियों के चित्र बनाये जैसे :-

1. पैर + चप्पल

2. नाखून + नेलकटर


3. बाल्टी + साबुन

साथ ही पर्चियों को लगाने के लिये, चिपकने वाली टेप या सेफ्टी पिन सन्दर्भ व्यक्ति उपलब्ध करायें।

क्रिया विधि-1.

- :-
- * कागज की पूर्व निर्मित जोड़ी वाली पर्चियों को सहजकर्ता (संदर्भ व्यक्ति) सहभागी की पीठ पर लगायेंगे।
 - * पर्चियाँ लग जाने के बाद सहभागियों को बिना बोले इशारे से अपने सामने वाले साथी से अपनी पीठ पर लगे चिह्न की पहचान बताने को कहें।
 - * अब सहभागी अपने चिह्न की पहचान होने के बाद अपने साथी को घूम-घूमकर पहचाने और जोड़ी बनाये।
 - * जोड़ी बन जाने पर दोनों निश्चित स्थान पर बैठकर सघन परिचय प्राप्त करें (5 मिनट)





* परिचय में संभागी परस्पर अपना (1) नाम (2) काम (3) धाम (4) अभिराम (रुचि) (5) कार्यक्रम का पूर्व अनुभव बताएं।

* सघन परिचय के बाद साथी एक-दूसरे का परिचय अपने साथी के नाम के साथ विशेषण लगाकर देंगे (5 मिनट)

विशेषण :-

हँसमुख - अनिता

गम्भीर - अविनाश

नटखट - शेखर

आदि।



सावधानियाँ :- परिचय में सभी साथी भाषा, आयु, महिला-पुरुष की रुचि तथा गरिमा का अवश्य ध्यान रखें।

क्रियाविधि-2. :-

कार्य विभाजन :- परिचय की गतिविधि सम्पादित करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से चर्चा कर अलग-अलग व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों का दायित्व सौंपें। जैसे-

(i) एक सम्भागी को एक दिन का प्रतिवेदन लिखने का दायित्व सौंपा जाय। प्रत्येक दिन अलग-अलग व्यक्ति इस दायित्व का निर्वहन करें।





(ii) 5-6 सम्भागियों के समूह को भोजन व जल की शुद्धता व भोजन के समय वितरण की व्यवस्था का दायित्व सौंपें।

(iii) प्रतिदिन एक सम्भागी समय प्रहरी का दायित्व लें। विभिन्न सत्रों हेतु निर्धारित समय पर वह सम्भागियों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

यह गतिविधि प्रतिदिन प्रार्थना सत्र के बाद की जाय तथा उस दिन के कार्य का दायित्व चयनित व्यक्ति/समूह को सौंपा जाय।


निष्कर्ष

- :-
- * संभागी एक-दूसरे को सामान्यतः पहचान पायेंगे।
 - * प्रशिक्षण में सहयोग देने को तैयार हो पायेंगे।
 - * सम्भागियों को एक-दूसरे के नाम याद हो जायेंगे और प्रशिक्षण के दौरान वे आपस में नाम लेकर वार्तालाप करेंगे।
 - * वातावरण सहज और सीखने में सहायक होगा।
 - * सहजकर्ता और सम्भागियों के बीच की दूरी खत्म होगी।
 - * प्रशिक्षण की विभिन्न गतिविधियों में सम्भागियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी।

सहजकर्ता के लिये

ध्यान देने योग्य बिन्दु

- :- सहजकर्ता और प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित सभी अन्य साथी (संभागियों के अतिरिक्त भी) इस गतिविधि में सम्मिलित होंगे।



नोट : परिचय सत्र के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को पूर्व परख पत्र हल करने के लिये देवें। परख पत्र को हल करने हेतु 15-20 मिनट का समय दिया जायें। सम्भागियों द्वारा दिये गये परख पत्रों का संदर्भ व्यक्ति अवलोकन करें किन्तु जाँचें नहीं। प्रशिक्षण के अन्तिम दिन इन्हीं परख पत्रों को सम्भागियों को पुनः वितरित कर पूर्व में स्वयं की जानकारी एवं प्रशिक्षण के बाद जानकारी में हुई वृद्धि का स्वतः मूल्यांकन करने को कहें।

- सन्दर्भ व्यक्ति परख पत्रों का अवलोकन कर यह निर्धारित करें कि प्रशिक्षण के दौरान किन-किन तथ्यों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, तदनुरूप ही प्रशिक्षण की रणनीति तय करें।

पूर्व परख

समय 10.45 से 11.00

प्र. 1. दस्त रोग होने के प्रमुख कारण बताइये।

.....

प्रश्न 2. बालक-बालिकाओं में होने वाली सामान्य बीमारियों के नाम बताइये।

.....

प्रश्न 3. यदि सुरक्षित पेयजल एवं शौचालय के अभाव में होने वाली बीमारियों के नाम बताइये।

.....

प्र. 4. दस्त रोग निवारण के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं ?

.....

प्र. 5. सुरक्षित पेयजल स्रोत कौनसे हैं ?


.....

प्र. 6. शाला में पेयजल के रख-रखाव में कौन-कौनसी सावधानियां रखनी चाहिये ?

.....

प्र. 7. बिना धोई सब्जी व फल खाने से क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं ?

.....



प्र. 8. दूषित जल के एक स्थान पर एकत्रित होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ?

.....

प्र. 9. घर/विद्यालयों में ठोस कूड़ा/कचरे के ढेर लगने से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

.....

प्र. 10. क्या आप शौचालय का उपयोग करते हैं ?

.....

प्र. 11. यदि हाँ तो क्यों ?

.....

प्र. 12. हाथ धोना कब-कब आवश्यक है और किससे हाथ धोना चाहिये ?

.....

प्र. 13. बेकार पानी के निस्तारण के लिये आप क्या कर सकते हैं ?

.....

प्र. 14. क्या आपकी शाला में एस.डी.एम.सी. बैठक में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर चर्चा की जाती है ?


.....

प्र. 15. आपकी शाला में शौचालय की नियमित सफाई व रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

1.

2.

3.



प्र. 16. यदि विद्यालय शौचालय इकाई में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता है, तो इसकी मरम्मत हेतु विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किये जावेंगे ?

.....

प्र. 17. शाला में शौचालय व मूत्रालय का निर्माण किस स्थान पर किया जाना चाहिये ?


.....

प्र. 18. समुदाय को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ने के लिये आप क्या प्रयास करना पसन्द करेंगे ?

.....

प्र. 19. आपके विद्यालय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं की सहभागिता किस प्रकार ली जाती है ?

.....




तृतीय सत्र


पाठ्य पुस्तकों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य
सम्बन्धी विषय-वस्तु का विश्लेषण

समय : 11.15 से 12.15

उद्देश्य

- :-
1. पाठ्य पुस्तकों में निहित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यों का परिचय कराना।
 2. कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना।
 3. 'हमारा स्वास्थ्य' नामक पुस्तकों की उपादेयता को चिह्नित करना तथा इनमें दी गई विषय वस्तु का पाठ्य क्रम से सम्बन्ध स्पष्ट करना।
 4. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जो छात्र/छात्राओं के लिए जानना आवश्यक है, किन्तु वर्तमान पाठ्यपुस्तकों व हमारा स्वास्थ्य दोनों में ही इनका उल्लेख नहीं किया गया है।





चर्चा के बिन्दु :- * पाठ्यपुस्तकों एवं हमारा स्वास्थ्य नामक पुस्तकों का कक्षावार विश्लेषण करना।

* स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता का अहसास कराना।

विषय वस्तु :- 1. कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों में से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित तथ्यों को छाँटना।

2. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐसे तथ्यों का पता लगाना जो छात्र/छात्राओं को जानना चाहिये किन्तु पाठ्यपुस्तकों में जानकारी का अभाव है, तथापि 'हमारा स्वास्थ्य' नामक पुस्तकों में हैं।


3. ऐसे तथ्यों का पता लगाना जिनका उल्लेख पाठ्यपुस्तकों व हमारा स्वास्थ्य दोनों में ही नहीं किया गया है किन्तु जिनकी जानकारी प्राथमिक स्तर के बच्चों को होनी चाहिये।

4. 'हमारा स्वास्थ्य' नामक पूरक पठन सामग्री में अतिरिक्त समाविष्ट किए जाने वाली विषय वस्तु का निर्धारण करना।

क्रियाविधि-1.

(समयावधि 30 मिनट)

- * कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित दी गई जानकारीयों के माध्यम से, बच्चों में इनसे सम्बन्धित आदतों को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक इन जानकारीयों के विषय में गहनता से चिन्तन करें तथा उन प्रक्रियाओं को जानने का प्रयास करें जिनसे इन्हें आदतों में बदला जा सके। अतः सभी शिक्षकों का इनकी ओर यथेष्ट ध्यान आकृष्ट करने के लिये, सम्भागियों के, समूह चर्चा हेतु, पांच समूह बनाए जाए।
- * प्रत्येक समूह को 1-1 कक्षा की सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें एवं 'हमारा स्वास्थ्य' नामक पुस्तकों को वितरित किया जाय। (समूह-1-कक्षा 1, समूह-2 कक्षा 2, समूह-3 कक्षा 3, समूह-4 कक्षा 4 व समूह-5 कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों एवं 'हमारा स्वास्थ्य' नामक पुस्तकों का विश्लेषण करें)




- * प्रत्येक समूह परिशिष्ट-1 पृष्ठ संख्या 127 व 128 पर दिए गये विषय वस्तु विश्लेषण प्रपत्र-1 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों एवं हमारा स्वास्थ्य में से स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों का विश्लेषण करेंगे एवं कौनसी पुस्तक के किस पाठ व पृष्ठ पर सम्बन्धित सूचना दी गई है को परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्रानुसार भरेंगे।
- * प्रत्येक समूह उन तथ्यों को भी छांटेंगे, जिनके विषय में बच्चों को जानना चाहिये तथा जो प्रपत्र में बताए गए हैं किन्तु पाठ्यपुस्तकों एवं हमारा स्वास्थ्य दोनों में ही उनके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
- * प्रत्येक समूह विश्लेषित की गई जानकारीयों को परिशिष्ट में दिये गए प्रपत्र-1 में भरेंगे।

क्रियाविधि-2

(समयावधि 30 मिनट)

- * कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बनाए गये प्रत्येक समूह द्वारा विश्लेषित तथ्यों को बड़े समूह के समक्ष प्रपत्र-1 के अनुसार प्रस्तुत किया जाय।
- * सन्दर्भ व्यक्ति कक्षावार प्रत्येक समूह से क्रमशः निम्नानुसार विश्लेषित सूचनाओं को प्रपत्र-1 में दर्ज करें :-

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. मानव मल का निस्तारण | 5. भोजन की स्वच्छता |
| 2. जल उपयोग एवं सुरक्षा | 6. घरेलू स्वच्छता |
| 3. घर/विद्यालय में जल का उपयोग | 7. पर्यावरणीय स्वच्छता |
| 4. व्यक्तिगत स्वच्छता | 8. अन्य स्वास्थ्यप्रद आदतें |
- सन्दर्भ व्यक्ति सभी समूहों से प्राप्त विश्लेषण को समेकित करते हुए बताए कि-
 - * वर्तमान पाठ्यपुस्तकों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण जानकारीयाँ दी गई है। इन जानकारीयों को शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को इस तरह से समझाएँ कि इन जानकारीयों को वे अपने दैनिक जीवन में अपना सकें।
 - * कुछ जानकारीयाँ, जो नियमित पाठ्यपुस्तकों में संक्षेप में दी गई है, उन्हें पुष्ट करने के लिये सम्बन्धित जानकारी 'हमारा स्वास्थ्य' नामक पूरक पठन सामग्री में दी गई है। इनके शिक्षण से बच्चों में स्वास्थ्यप्रद आदतों का विकास किया जा सकता है।



* 'हमारा स्वास्थ्य' में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारीयों को चित्रों, कविताओं, कहानियों, नाटक आदि के रूप में दिया गया है ताकि बच्चे रोचक तरीके से इन तथ्यों को समझ सकें। शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान इन पुस्तकों में दी गई कविता/कहानियों को बच्चों को सुनाकर तदुपरान्त नियमित पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु का शिक्षण कराए तो विषय वस्तु का अधिगम सरल व रोचक बन सकेगा।

* सन्दर्भ व्यक्ति सभी समूहों की सूचनाओं को संकलित कर परिशिष्ट-2 में विषय वस्तु विश्लेषण प्रपत्र 2 से मिलान करें तथा यदि सम्भागियों के विश्लेषणोपरान्त कोई तथ्य छूट जाए तो उसकी जानकारी भी दी जाए। सन्दर्भ व्यक्ति सभी समूहों की जानकारी समेकित करने के उपरान्त स्पष्ट करें कि किस कक्षा में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित किस-किस तथ्य को प्रमुखता से उभारा गया है। जैसे (1) व्यक्तिगत स्वच्छता का जीवन में सर्वाधिक महत्व है, अतः इसे सभी कक्षाओं में समान महत्व दिया गया है। (2) पर्यावरणीय स्वच्छता पर कक्षा 3 में सर्वाधिक बल दिया गया है। अन्य कक्षाओं में उसे पुष्ट किया गया है, आदि।


निष्कर्ष

:-

सभी सम्भागियों ने पाठ्यपुस्तकों व हमारा स्वास्थ्य में दी गई स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारीयों का विश्लेषण कर यह समझ लिया है कि छात्र/छात्राओं में इन जानकारीयों के आधार पर स्वच्छता से सम्बन्धित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सकता है। अब सभी शिक्षक छात्र/छात्राओं में स्वच्छता की आदतों को विकसित करने हेतु कृतसंकल्प है।

नोट :-

सन्दर्भ व्यक्ति इस तथ्य को उभारने का प्रयास करें कि जिस कार्यक्रम के लिये आप इस प्रशिक्षण में आए हैं वह हमारी नियमित शिक्षण व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं तथा इसके माध्यम से बच्चों में स्वच्छता की आदतों का विकास किया जाएगा, फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, विद्यालय व गाँव का वातावरण स्वच्छ बन सकेगा इससे अन्ततः बच्चों की सीखने, समझने की सामर्थ्य का विकास होगा व बच्चे गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।



चतुर्थ सत्र

प्रदर्शन पाठ : शरीर की स्वच्छता


समय : 12.15 से 12.45


- उद्देश्य/विषय वस्तु :-
1. कक्षा शिक्षण हेतु विषयवस्तु की शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षकों को अभ्यास कराना।
 2. शरीर के सभी अंगों की साफ-सफाई का महत्व समझाना।
 3. शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई के सही तरीकों को समझाना।
 4. नियमित सफाई न करने पर होने वाली बीमारियों/दुष्परिणामों की जानकारी देकर नियमित स्वच्छ रहने को प्रेरित करना।

चर्चा का बिन्दु :- कक्षा शिक्षण हेतु विषय-वस्तु शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास।

- विषय वस्तु :-
1. शरीर के अंगों की सफाई की आवश्यकता
 2. शरीर के अंगों की नियमित सफाई न करने से होने वाली परेशानियाँ/बीमारियाँ
 3. शरीर की नियमित सफाई के लाभ
 4. शरीर के विभिन्न अंगों की नियमित सफाई की प्रक्रिया।
 5. शरीर के सभी अंगों की नियमित सफाई की आदत विकसित करने पर बल देना।

क्रियाविधि-1. :- बच्चों को कक्षा शिक्षण के दौरान स्वच्छता व स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीयाँ सम्प्रेषित करने के सही तरीकों का शिक्षक प्रशिक्षण में अभ्यास कराया जाना आवश्यक है। शिक्षण अभ्यास के माध्यम से बच्चों में वांछित जीवन कौशलों का विकास कैसे किया जा सकता है, की शिक्षकों में समझ विकसित करना लक्षित है। अतः सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों के समक्ष कक्षा-3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का पाठ क्रमांक 4 'सभी स्वच्छ रहे' (पृष्ठ 16 से 20) का प्रदर्शन करने





हेतु सम्भागियों को कक्षा 3 के छात्र-छात्राओं के रूप में प्रश्नों के उत्तर देने का अनुरोध करें। सम्भागियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को नीचे दी गई सारणी में अंकित करें :-


1. सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों द्वारा दी गई जानकारियों को नीचे दी गई सारणी में ब्लैक बोर्ड या कॉर्ड शीट पर अंकित करें-

| क्र. सं. | शरीर का अंग | कब-कब सफाई करनी चाहिए | नियमित सफाई न करने से होने वाली बीमारी | बीमारी से बचने का उपाय | शरीर के अंग की सफाई का उपयुक्त तरीका |
|----------|-------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |

2. सन्दर्भ व्यक्ति सारणी में भरी गई सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट करें कि शरीर के सभी अंगों की नियमित व उचित सफाई करना आवश्यक है, इसके अभाव में विभिन्न रोग हो सकते हैं। अतः विभिन्न अंगों की उचित सफाई का तरीका जानना भी आवश्यक है।

क्रियाविधि-2. :- सन्दर्भ व्यक्ति चित्र/मॉडल की सहायता से दांतों, आँखों, कानों, शरीर आदि की सफाई के तरीकों का प्रदर्शन करें।


क्रियाविधि-3. :- सन्दर्भ व्यक्ति 'हमारा स्वास्थ्य' कक्षा-3 के पाठ क्रमांक 1 व 2 को लयपूर्व सम्भागियों को सुनाएं तदुपरान्त कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन के पाठ क्रमांक 4




‘सभी स्वच्छ रहे’ का वाचन करें व स्वच्छता व स्वास्थ्य से सम्बन्धित बातों को पुष्ट करने हेतु शिक्षण के दौरान पाठ्यवस्तु में आने वाली बातों को पूर्व में बनाई गई सारणी से मिलान करवाएँ तथा स्पष्ट करें कि पाठ्य पुस्तक में वहीं बातें बताई गई हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं। साथ ही स्वच्छता की आदतें अपनाने पर बार-बार बल दें।

निष्कर्ष :- सभी सम्भागी शरीर के विभिन्न अंगों की सफाई व सफाई के उचित तरीकों के महत्व को समझ गए हैं तथा कक्षा शिक्षण के दौरान वे बच्चों को इस प्रक्रिया को सझाने हेतु कृत संकल्पित है।

नोट :- युवावस्था की ओर अग्रसर किशोरियों में होने वाली प्राकृतिक, जैविक प्रक्रिया ‘महावारी’ के विषय में परिशिष्ट-4 में आवश्यक जानकारी दी गई है। समस्त अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वे इस प्राकृतिक प्रक्रिया के विषय में किशोरी बालिकाओं को उपयुक्त जानकारी प्रदान करें ताकि जानकारी की अपूर्णता की वजह से होने वाली परेशानियों/बीमारियों से उन्हें मुक्त रखा जा सके। जिन विद्यालयों में अध्यापिकाएं न हों वहां पर यह जानकारी स्थानीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ ए.एन.एम./नर्स या चिकित्सक के माध्यम से बालिकाओं को दिलवाए जाने की संस्था प्रधान द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये।





पंचम सत्र

सूक्ष्म पोषक तत्व

समय : 12.45 से 1.30

उद्देश्य

- :- * मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करना ।
- * मानव शरीर में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों व उनसे बचाव के उपाय की जानकारी प्रदान करना ।
- * विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त बीमार पाए गए छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों व उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों/कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना ।
- * शिक्षकों में छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना ।

चर्चा के बिन्दु


:- “मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व”

विषय वस्तु

- :- 1. शारीरिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व ।
- 2. सूक्ष्म पोषक तत्वों की शारीरिक विकास में भूमिका ।
- 3. शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विभिन्न रोग एवं उनसे बचने के उपाय ।
- 4. विद्यालय में आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की शासकीय योजनाएं ।

क्रियाविधि-1. :-


सन्दर्भ व्यक्ति संभागियों को बताएं कि भारत में विद्यालय जाने वाले अधिकांश बच्चों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों यथा प्रोटीन, विटामिन्स (विटामिन ए, सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन एवं, कैल्शियम, आइरन) आदि की कमी पायी जाती है । अतः आवश्यकता वाले बच्चों को इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने व उनके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग, चिकित्सा



विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में “विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम” संचालित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग “दोपहर के भोजन कार्यक्रम” के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आवश्यक पोषक तत्वोंयुक्त विभिन्न प्रकार की भोज्य सामग्री उपलब्ध करवा रहा है, जिससे प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम व अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा बच्चों को मिल सके व इनकी कमी से होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग औषधियों के रूप में आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को मिड-डे-मील के साथ आयरन, कैल्शियम व विटामिन्स की गोलियां उपलब्ध करवा रहा है।

अतः संभागियों के लिये यह जानना आवश्यक है कि विद्यालयों के लिये चलाए जा रहे हैं “विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है तथा इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करवायी जा रही है औषधियों की बच्चों के लिये क्या उपयोगिता है। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि विभिन्न पोषक तत्वों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है तथा उनकी आवश्यकता पूर्ति के साधन क्या हैं ? अतः इन पर चर्चा करने के लिए संभागियों को निम्नानुसार चार समूहों में विभक्त कर परिशिष्ट में दी गई” विद्यालय स्वास्थ्य एवं माइक्रोन्यूट्रीएन्ट सप्लीमेन्टेशन कार्यक्रम की प्रति अध्ययन हेतु उपलब्ध कराएं।

प्रथम समूह :- विद्यालय स्वास्थ्य एवं माइक्रोन्यूट्रीएन्ट सप्लीमेन्टेशन कार्यक्रम के उद्देश्य प्रावधान विभिन्न विभाग की भूमिका व उनका बच्चों को लाभ।



द्वितीय समूह :- शारीरिक विकास में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका।

तृतीय समूह :- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं उनसे बचाव के साधन/उपाय।

चतुर्थ समूह :- कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन द्वितीय विज्ञान के पाठ क्रमांक 3 “क्या खाएं और क्यों” का शिक्षण अभ्यास।

प्रत्येक समूह को समूह चर्चा व चर्चा के प्रस्तुतिकरण हेतु सामग्री तैयार करने के लिये 20 मिनट का समय दें।

क्रियाविधि-2. :- * समूह चर्चा के उपरान्त प्रत्येक समूह का प्रस्तुतिकरण करवाया जाए।

* प्रत्येक समूह के प्रस्तुतिकरण उपरान्त उसका विश्लेषण किया जाए।


1. विद्यालय स्तर पर क्या किया जा सकता है ?

2. बच्चे घरों पर सम्बन्धित जानकारी कैसे पहुँचा सकते हैं ?

3. सामुदायिक जागरूकता विकसित करने के लिये क्या उपाय किए जा सकते हैं ?
आदि।

* सभी समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति चर्चा को समेकित करते हुए संभागियों से सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग से सम्बन्धित किए जा सकने वाले प्रयासों को सूचीबद्ध करें व इनके व्यावहारिक उपयोग पर बल दें।

निष्कर्ष :- संभागी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के विषय में जान गए हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में बच्चों को वितरित किए जाने वाले दोपहर के भोजन के बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता वाले बच्चों को निर्धारित समय व मात्रा में देने की सुनिश्चितता तय करेंगे।



षष्ठम सत्र

मानव मल का मुख तक संचरण व मल जनित रोग

समय : 2.30 से 3.00

उद्देश्य


- :-
- * मानव मल के पुनः शरीर में पहुँचने के माध्यमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
 - * मानव मल से होने वाली बीमारियों व उनके रोकथाम के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
 - * मानव मल के सुरक्षित निपटान हेतु शौचालय निर्माण के महत्त्व को समझ सकेंगे।


चर्चा का बिन्दु

:- "मानव मल के मुख तक संचरण के माध्यम"

क्रियाविधि-1.

सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से प्रश्न करें कि क्या खुले में मल त्याग करने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि हाँ तो कैसे ? सम्भागियों द्वारा व्यक्त विचारों को ब्लैक बोर्ड/कॉर्डशीट पर अंकित करने के उपरान्त नीचे दिए गए चार्ट को प्रदर्शित करते हुए बताएं कि मानव मल हमारे शरीर में किन माध्यमों से प्रविष्ट कर हमें बीमार करता है :-






- * प्रत्येक माध्यम से कैसे मल शरीर में पहुँचता है पर सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से चर्चा करें।
- * माध्यमों पर चर्चा के उपरान्त प्रत्येक माध्यम के अवरोध क्या-क्या हो सकते हैं, पर चर्चा करें।
- * चर्चा पूरी होने के पश्चात् 'मलजनित संक्रमण के माध्यम व मलजनित रोग' नामक हस्तप्रति 1, पृष्ठ संख्या 75 से 78 तक सम्भागियों को वितरित कर 5 मिनट अध्ययन करने दें, तदुपरान्त संक्षिप्त चर्चा कर इस तथ्य को उभारने का प्रयास करें कि खुले में शौच करने व हाथों व शरीर की पर्याप्त सफाई न करने से अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। अतः इन रोगों से सुरक्षा के लिये शौचालय का उपयोग व हाथों व शरीर की नियमित व पर्याप्त सफाई आवश्यक है।

इस तथ्य को उभारने का प्रयास करें कि खुले में मल त्याग करने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने की सम्भावना सदैव बनी रहती हैं, अतः खुले में मल त्याग की आदत को बदलने की आवश्यकता है। अतः घरेलू शौचालय का नियमित उपयोग व सफाई आवश्यक है।

चर्चा का बिन्दु :- खुले में मल त्याग करने व अस्वच्छता से होने वाली बीमारियाँ

क्रियाविधि-2 :- सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से प्रश्न करें कि खुले में मल त्याग करने व अस्वच्छता से कौन-कौनसी बीमारियाँ हो सकती हैं तथा उनसे बचने के क्या उपाय किये जा सकते हैं ? सम्भागियों द्वारा बताई गई बातों को श्यामपट्ट/कॉर्डशीट पर अंकित करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति परिशिष्ट में दी गई 'खुले में शौच करने व अस्वच्छता से होने वाली बीमारियाँ : रोकथाम के उपाय की खाली सारणी प्रपत्र-3 पृष्ठ संख्या 131-132 सम्भागियों को वितरित करें।'।




- * सम्भागियों से सारणी में दिए गए रोगों से बचने के उपायों पर सही का चिह्न (✓) लगाने को कहें।
- * सम्भागियों द्वारा भरी गई सारणी का मिलान प्रपत्र-4 पृष्ठ संख्या 133, 134 से करने को कहें।

उपरोक्तानुसार जानकारी प्रदान करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सभी सम्भागियों को प्रत्येक विद्यालय एवं घर में शौचालय के निर्माण एवं नियमित उपयोग के लिये प्रेरित करें जिससे जल मल व अस्वच्छता जनित बीमारियों से बचा जा सकें।

निष्कर्ष :-

सम्भागी खुले में मल त्याग से होने वाले रोगों एवं उनके दुष्प्रभावों से अवगत हो गए हैं वे विद्यालय एवं घर में शौचालय का निर्माण कराएंगे तथा स्वयं इस्तेमाल करेंगे व बच्चों को भी शौचालय के इस्तेमाल एवं रख-रखाव को प्रेरित करेंगे, साथ ही समुदाय में शौचालय निर्माण, उसके उपयोग एवं स्वच्छता अपनाने का सन्देश प्रचारित करने में सहयोग करेंगे।



सप्तम सत्र

जल की उपलब्धता, उपयोग व रखरखाव

समय : 3.00 से 4.00

उद्देश्य :-

1. पृथ्वी पर मानवीय उपयोग के लिये उपलब्ध जल की स्थिति जान सकेंगे।
2. जल प्राप्त होने के स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. जल के शुद्धिकरण के तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. जल के रख-रखाव के तरीकों की जानकारी कर सकेंगे।
5. जल के महत्त्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

चर्चा के बिन्दु :-

- “जल की उपलब्धता”
- “जल शुद्धिकरण व उपयोग”
- “जल का रख-रखाव”


विषय वस्तु :-

- * पृथ्वी पर मानवीय उपयोग के लिये जल की उपलब्धता
- * सुरक्षित पेयजल के गुणों की जानकारी
- * शुद्धिकरण के तरीके

क्रियाविधि-1. :-

- * सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से चर्चा के माध्यम से पृथ्वी के विभिन्न भागों (समुद्र/पर्वत/धरातल आदि) पर उपलब्ध जल की स्थिति जानने का प्रयास करें।
- * सम्भागियों से प्राप्त जानकारी को बोर्ड पर अंकित करें, तदुपरान्त पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल व मानवीय उपयोग के लिये उसमें से उपलब्ध जल की मात्रा का, सन्दर्भ व्यक्ति चित्र बनाकर, प्रदर्शन करें तथा अग्रांकित तथ्य स्पष्ट करें:-






उपलब्धता

:-

पृथ्वी पर आज भी उतना ही जल विद्यमान है जितना पृथ्वी निर्माण के समय उपलब्ध था।

- * जल चक्र पृथ्वी की जल आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे हमें निरन्तर जल मिलता रहता है। सौर ऊर्जा की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- * विश्व का लगभग 97 प्रतिशत जल महासमुद्रों में स्थित है जो खारा तथा पीने योग्य नहीं है।
- * इसके अतिरिक्त दो प्रतिशत हिम क्षेत्र एवं ग्लेशियरों में बंधित है।
- * शेष एक प्रतिशत पानी खेती, आवास निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध है।


अतः यह आवश्यक है कि पृथ्वी पर मानवीय आवश्यकताओं के लिये उपलब्ध जल के उपयोग/संरक्षण एवं रख-रखाव के प्रति आमजनों में पर्याप्त जागरूकता विकसित की जाय।



क्रियाविधि-2.

सन्दर्भ व्यक्ति जल उपलब्धता पर चर्चा करने के पश्चात् सम्भागियों से पूछे कि सुरक्षित पेयजल के क्या गुण होने चाहिये? सम्भागियों से प्राप्त जानकारी को श्यामपट्ट/कॉर्डशीट पर अंकित करने के उपरान्त स्पष्ट करें कि सुरक्षित पेयजल “कीटाणु रहित, स्वादहीन, रंगहीन, रसायनरहित, स्वच्छ एवं गंधहीन होता है।” ऐसे जल के सेवन से किसी भी प्रकार के रोग या शारीरिक विकृति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होती है। पृथ्वी पर मानवीय उपयोग के लिये जल अत्यन्त सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अतः यह आवश्यक है कि हम पेयजल स्रोतों के प्रदूषण के कारण, उसके दुष्प्रभावों व प्रदूषित होने से रोकने के उपायों के विषय में भी जानें।

- * सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को चार समूहों में विभक्त करें।
- * परिशिष्ट 5, 6 तथा 7 में दी गई जल जनित बीमारियाँ, जल को संक्रमण रहित करने के विभिन्न उपाय एवं फ्लोराइड के प्रभाव: फ्लोरोसिस ‘जल गुणवत्ता’ तथा






वर्षा जल संग्रहण एवं पुनर्भरण नामक हस्तप्रतियों को अध्ययन करने हेतु दें तथा समूह चर्चा में उभरे बिन्दुओं को कॉर्डशीट पर लिखकर प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित करें।

- * प्रथम समूह जल में रासायनिक तत्वों के घुलने से होने वाले प्रदूषण के कारण, उनके दुष्प्रभावों व उनसे बचने के उपायों पर चर्चा करें। (परिशिष्ट-7 फ्लोराइड के प्रभाव : फ्लोरोसिस, पृष्ठ संख्या 152 से 162 के आधार पर चर्चा)
- * द्वितीय समूह जल के जैविक प्रदूषण के कारण, उसके दुष्प्रभाव व बचाव के उपायों पर चर्चा करें। (जलजनित बीमारियाँ - परिशिष्ट 5, पृष्ठ संख्या 144 से 147 के आधार पर चर्चा)
- * तृतीय समूह वर्षा जल संग्रहण तकनीक पर चर्चा करें। (हस्तप्रति-4, जल संग्रहण एवं पुनर्भरण पृष्ठ संख्या 83 से 91 के आधार पर चर्चा)
- * चतुर्थ समूह वर्षा जल पुनर्भरण तकनीक पर चर्चा करें। (उपरोक्तानुसार)
- * प्रत्येक समूह को समूह चर्चा एवं कॉर्डशीट पर लिखने हेतु 30 मिनट तथा लिखित बिन्दुओं के प्रस्तुतिकरण हेतु 10 मिनट का समय दें।
- * सन्दर्भ व्यक्ति चारों समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त चर्चा को समेकित करते हुए स्पष्ट करें कि मानवीय उपयोग के लिये जल अत्यन्त सीमित है। अतः जल स्रोतों का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही प्रदूषित जल मानव व जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना व लोगों को इस हेतु प्रेरित करना भी हमारा कर्तव्य है।

निष्कर्ष :- पानी का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है तथा पानी के रख-रखाव, प्राप्ति के स्रोत तथा जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है कि समझ सम्भागियों में उत्पन्न हुई है। अब वे विद्यालय, घर तथा गाँव में जल के सही उपयोग व जल स्रोतों के उचित रख-रखाव के प्रति सजग हो गए हैं।

नोट :- सन्दर्भ व्यक्ति फ्लोराइड से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में देखकर सम्भागियों को बताएं।





अष्टम सत्र

पर्यावरणीय, स्वच्छता के घटक

समय : 4.15 से 6.00

उद्देश्य

- :-
1. पर्यावरणीय स्वच्छता के विभिन्न घटकों की अस्वच्छता के कारण फैलने वाली बीमारियों के विषय में जानकारी देना।
 2. प्रदूषित व उपयोजित जल, मल व कूड़ा-करकट के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी देना।
 3. सोखता गड्ढा तथा कचरा गड्ढा बनाने की तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
 4. सम्भागियों में विद्यालय, घर तथा गाँव में प्रदूषित जल, मल व कचरे के उचित निस्तारण के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना।

चर्चा के बिन्दु

- :-
- * स्वच्छता के सात घटक।
 - * सोखता गड्ढा बनाने की तकनीक।

विषय-वस्तु

(स्वच्छता क्यों?) :-

1. यूनिसेफ द्वारा निर्मित स्वच्छता के सात घटकों की फिल्म का प्रदर्शन कर स्वच्छता के घटकों की जानकारी प्रदान करना।
2. खुले में मल त्याग तथा जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों व रोकथाम के उपायों की जानकारी प्रदान करना।
3. सोखता गड्ढा, कचरा गड्ढा बनाने की तकनीकी जानकारी।


क्रियविधि-1.

- :-
1. सन्दर्भ व्यक्ति स्वच्छता के सात घटकों की जानकारी वाली फिल्म दिखाने के उपरान्त सम्भागियों से चर्चा करें कि व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के लिये स्वच्छता के किन सात घटकों की स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छता के सात घटकों पर चर्चा करने के लिये सम्भागियों को तीन समूहों में विभक्त करें :-

(क) प्रथम समूह व्यक्तिगत स्वच्छता तथा घर एवं भोजन की स्वच्छता पर

(ख) द्वितीय समूह शुद्ध पेयजल का रखरखाव तथा गन्दे पानी का निस्तारण पर तथा

(ग) तृतीय समूह गाँव की स्वच्छता, कचरे एवं गोबर का निस्तारण तथा मानव मल का निस्तारण पर।




तीनों समूह (क) वर्तमान आदतें (ख) उनके कारण होने वाले रोग/ परेशानियां तथा (ग) स्थिति सुधार हेतु किए जा सकने वाले व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपायों पर चर्चा करें तथा समूह चर्चा में उभरे बिन्दुओं को उपरोक्तानुसार सारणी बनाकर कार्डशीट पर अंकित करें :-

| क्र. सं. | वर्तमान आदतें | होने वाले रोग/ परेशानियाँ | व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपाय |
|----------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | |


2. प्रत्येक समूह को चर्चा करने एवं चर्चा में उभरे बिन्दुओं को लिखने के लिये 20 मिनट का समय दें।

3. 20 मिनट पश्चात् तीनों समूहों का प्रस्तुतिकरण करवाया जाये। प्रत्येक समूह को प्रस्तुतिकरण हेतु अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाय।




प्रथम समूह में उभरने वाले सम्भावित बिन्दु :-

1. व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों की कमी से अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं।
2. अधिकांश व्यक्ति नित्य साबुन से स्नान नहीं करते न ही रोज कपड़े धोते हैं। इससे चर्म रोग होने की सम्भावना बनी रहती है।



3. शौच के बाद अधिकांश व्यक्ति साबुन से हाथ नहीं धोते विशेषकर महिलाएँ बच्चों का मल साफ करने के बाद साबुन से हाथ नहीं धोती क्योंकि वे बच्चों के मल को हानिकारक नहीं मानती है, जबकि बच्चों का मल तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानिकारक होता है। अधिकांश व्यक्ति मिट्टी से हाथ धोते हैं, फलस्वरूप मल जनित बीमारियाँ फैलने की सम्भावना बनी रहती है। लोग बार-बार दस्त रोग, पीलिया आदि से ग्रसित होते रहते हैं।
4. जुकाम हवा से फैलता है, अधिकांश व्यक्ति छींकते समय मुँह पर हाथ/रुमाल नहीं रखते, इससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं, समय रहते जुकाम का उचित उपचार नहीं होने पर क्षय रोग (टी.बी.) होने की सम्भावना रहती है।




5. भोजन बनाने से पूर्व सब्जी/फलों को अच्छी तरह साफ पानी से नहीं धोया जाता।
6. भोजन को ढक कर नहीं रखने से मक्खी व गन्दगी भोजन के सम्पर्क में आकर उसे प्रदूषित कर देती हैं।
7. घर के आसपास गन्दगी रहती है, इसे रोग फैलने की सम्भावना रहती है।

अतः निम्न सावधानियां रखी जानी चाहिए :-

ध्यान रखने योग्य बातें :- 1. प्रतिदिन स्नान करें व सम्भव हो तो साबुन का उपयोग करें।

2. प्रातःकाल सोकर उठने के पश्चात् एवं रात्रि में सोने से पूर्व नित्य दाँतों में मन्जन करें।



3. शौच के बाद व भोजन से पूर्व अच्छी तरह साबुन या ताजी राख से हाथ अवश्य धोएं।

4. नियमित रूप से नाखुन काटें।

5. भोजन बनाने से पूर्व साबुन से हाथ धोएं तथा फल व सब्जियों को भी बनाने से पूर्व अच्छी तरह साफ पानी से धोएं।

6. सर्दी-जुकाम होने पर तत्काल उपचार कराएं तथा छींकते/ खासते समय मुँह पर रुमाल रखें। थूक/कफ पर मिट्टी अवश्य डालें।




7. माताएँ बच्चों का मल साफ करने के पश्चात् अच्छी तरह साबुन या ताजी राख से हाथ अवश्य धोएँ तथा बच्चों के मल को शौचालय में ही डालें या खड्डा खोदकर मिट्टी में दबा दें। खुला नहीं छोड़ें। बच्चों के मल से बीमारी फैलने की सम्भावना अधिक होती है।

8. भोजन को अच्छी तरह ढककर रखें व सदैव ताजा भोजन ही करें। खुली चीजें जिन पर मक्खी/ मच्छर या अन्य कीड़े-मकौड़े बैठे हों, कभी न खाएँ।

द्वितीय समूह में उभरने वाले सम्भावित बिन्दु :-

1. स्वच्छ पेयजल कैसे प्रदूषित होता है, की जानकारी का अभाव है।
2. जल पात्रों को नियमित स्वच्छ जल से साफ करने की आदत नहीं है।
3. पेयजल पात्रों को सही तरीके से ढका नहीं जाता।
4. पेयजल स्रोतों के पास गन्दगी फैली रहती है जिससे जल स्रोत व जल प्रदूषित हो जाता है।
5. घरों के बेकार पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था का अभाव है। इससे गन्दगी फैलती है, जिससे मच्छर एवं मक्खियाँ पैदा होती है व मलेरिया, हैजा आदि रोग फैलने की सम्भावना बनी रहती है।



6. बेकार पानी के निस्तारण हेतु सोखत गड्ढा बनाने की उपयुक्त जानकारी नहीं है।

अतः निम्न सावधानियां रखी जानी चाहिए :-


1. जल पात्रों से पेयजल लेने के लिये सदैव डण्डीदार लोटे का प्रयोग करें।
2. जल पात्रों में कभी भी हाथ न डालें। इससे पानी प्रदूषित हो जाता है।
3. जल पात्रों को ऊंचाई पर रखें।
4. पेयजल को छानकर/फिटकरी डालकर तथा क्लोरीनेट करके शुद्ध करें।
5. गन्दे पानी की निकासी के लिये पक्की व ढकी नालियां बनाएं तथा उन्हें सामुदायिक नालियों से जोड़ें।




6. सामुदायिक नालियां न होने पर बेकार पानी के निस्तारण के लिये सोखत गड्ढों का निर्माण करें।

तृतीय समूह में उभरने वाले सम्भावित बिन्दु :-

1. गाँवों में अधिकांश लोग खुले में शौच करने जाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है।
2. मल त्याग के लिये जल स्रोतों के समीप के स्थान को चुना जाता है, जैसे नदी, तालाब, नहर आदि। बाद में मल सीधे ही जल स्रोत में साफ किया जाता है, जिससे सम्पूर्ण जल स्रोत का जल प्रदूषित हो जाता है।
3. घर का कचरा बाहर सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिससे चारों ओर गन्दगी फैलती है। इससे मक्खी व अन्य कीड़े उत्पन्न होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाने में सहायक होते हैं।




4. पशुओं के गोबर को भी घरों के आसपास ही जमा किया जाता है, जिससे भी रोग फैलाने वाले रोगाणु व कीट-पतंगे उत्पन्न होते हैं जो अन्ततः मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं।
5. ठोस कचरे के निस्तारण हेतु कचरा गड्ढा बनाने व कचरा पात्र रखने की आदत नहीं है।




ध्यान रखने योग्य बातें :-

1. खुले में शौच नहीं किया जाय। शौच के लिये घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाय। यदि करना मजबूरी हो तो एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें शौच करें व मल त्याग के पश्चात् मल को मिट्टी से ढक दें।



2. मल धोने के लिए सीधे जल स्रोत का इस्तेमाल न करें। उनसे पहले से ही पानी लेकर दूर जाकर मल साफ किया जाय। इससे जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।



3. सूखे कचरे के लिये घरों में ढक्कन वाले कचरा पात्र रखें तथा इस कचरे को जमीन में खोदे गये कचरा गड्ढे में डालकर कम्पोस्ट खाद बनाया जाय।
4. गोबर को जैविक खाद बनाने के लिये सुरक्षित गड्ढे में डाला जाय व ढककर रखा जाय।
5. बेकार/उपयोजित पानी के निस्तारण के लिये सोखता गड्ढे/सामुदायिक नालियाँ आदि बनाए जायें।

चर्चा का बिन्दु :-

क्रियाविधि-2. :-

सोखता गड्ढा बनाने की तकनीक


सन्दर्भ व्यक्ति तीनों समूहों द्वारा व्यक्त विचारों को समेकित करें, तदुपरान्त सम्भागियों को बेकार पानी के उचित निस्तारण से होने वाली परेशानियों पर निम्नानुसार चर्चा करें :-

पानी का उपयोग लेने के बाद बेकार पानी को घरों के ही आस-पास, सड़कों पर, जल के स्रोतों पर खुले में बहा देते हैं जिसके कारण बेकार पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और पर्यावरण के लिये भी खतरनाक हो जाता है। ऐसा पानी क्षेत्र में सड़ांध पैदा करने के साथ-साथ कीचड़, मक्खी, मच्छर भी पैदा करता है और ये सब अनेक रोगाणुओं के संवाहक बनते हैं। स्वच्छ जल स्रोतों को भी बेकार पानी से प्रदूषित होने से बचाना चाहिए।

- * सन्दर्भ व्यक्ति उक्त विषय वस्तु को आधार बनाकर संभागियों के समक्ष बेकार पानी की निकासी तथा सही उपयोग करने के क्या उपाय व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर किए जा सकते हैं, पर चर्चा करेंगे।


चर्चा में निम्न बिन्दु उभर सकते हैं :-

- * बेकार पानी को गड्ढा खोदकर सुखाया जा सकता है।
- * बेकार पानी के लिये विशेष प्रकार का गड्ढा (सोकेजपिट) बनाया जा सकता है।
- * बेकार पानी का बाग-बगीचे में साग-सब्जी पैदा करने में उपयोग किया जा सकता है।
- * बेकार पानी योजना बनाकर घर, मोहल्ला, गाँव में नालियाँ बनाकर खेतों में उपयोग में लाया जा सकता है।





उपरोक्त चर्चा के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को सोखा गड्ढा बनाने की जानकारी निम्नानुसार प्रदान करें -


घर के बाहर नाली के आगे एक मीटर लम्बा 1 मी. चौड़ा व 1 मी. गहरा गड्ढा खो दें।




खुदे हुए गड्ढे को नीचे से एक-तिहाई (30 से.मी.) ऊँचाई तक चौड़ी ईंट अथवा नारियल के आकार के गोल पत्थरों से भर दें।




उसके ऊपर एक तिहाई आम की साइज के गोलमोल पत्थरों अथवा ईंट से भर दें।



- (1) अब एक से.मी. चौड़े ईंट/सुपारी अथवा पेमली बेर की साइज के पत्थर के टुकड़ों से गड्ढे को जमीन की सतह से तीस (30) से.मी. ऊपर तक भर दें। नाली के मुँह पर, तले में दो से.मी. छेद वाला बीस से.मी. चौड़ा मिट्टी का मटका रखें। ठोस गंदगी को सोखने के लिए मटके में नारियल की जटा भर दें।
- (2) अब उन पर पांच (5) से.मी. मोटी बबूल, नीम, कपास, खजूर आदि में से उपलब्ध टहनियाँ को बिछाकर बोरे/बारदान से ढक दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी भर कर जमीन की सतह के बराबर कर दीजिए। मटके का मुँह खुला छोड़ना है।
- (3) मटके की सफाई प्रति सप्ताह एक बार करें व जरूरत हो तो नारियल की जटा को बदल दें।






बरसात का पानी इस गड्ढे में नहीं जाने दे, चार-पांच वर्ष में जब गड्ढा पानी सोखना बन्द कर दें तो इसे खोद कर पत्थर को सुखा दें। दूसरे गड्ढे को खोदकर पुनः उपरोक्तानुसार सोखता गड्ढा बना लें।

सन्दर्भ व्यक्ति सोखा गड्ढा बनाने की तकनीकी जानकारी देने के पश्चात् सम्भागियों को सूखा कचरा निस्तारण हेतु कचरा गड्ढा बनाने की जानकारी निम्नानुसार प्रदान करें :-

- * घरों/विद्यालयों में होने वाले कचरे को उचित तरीके से निस्तारित करने हेतु दो गड्ढे 2 फुट गहरा, 2 फुट लम्बा व चौड़ा बनाए जाए।
- * एक गड्ढे में प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाली बेकार वस्तुओं यथा गोबर, घास-फूस, कागज, कपड़े, खाने की बची वस्तुएं, लकड़ी आदि डाली जाएं। गड्ढा भर जाने पर उसे ऊपर से मिट्टी डालकर भर दिया जाय। कुछ माह पश्चात् गड्ढे में भरा कचरा कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उपयोग पेड़-पौधों में किया जा सकता है।
- * दूसरे गड्ढे में प्लास्टिक, रबर आदि ऐसी वस्तुओं को डाला जाए जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होती है। इस गड्ढे के भर जाने पर उसे इन वस्तुओं को पुनः उपयोग योग्य बनाने वाले व्यापारियों को बेच दिया जाय (पुनर्उपयोग हेतु) ताकि पर्यावरण प्रदूषित न होने पाए।

निष्कर्ष :- सम्भागी कूड़े-करकट एवं गोबर के सही निपटान की प्रक्रिया को समझ गये हैं। कचरे एवं गोबर से फैलने वाली गम्भीर बीमारियों से विद्यालय में बच्चों को तथा घर-परिवार एवं समाज में अन्य लोगों को जानकारी देकर पूरे गाँव एवं विद्यालय को सदैव स्वच्छ रखने का अभियान चलाएँगे।

द्वितीय दिवस



प्रथम सत्र

प्रार्थना एवं प्रतिवेदन

समय : 9.00 से 9.45

प्रार्थना एवं अभियान गीत * सवधर्म प्रार्थना व विद्यालय में प्रार्थना सत्र में प्रयुक्त होने वाली अन्य कोई एक प्रार्थना-एकात्मभाव का वातावरण बनाने के लिए।

* अभियान गीत/लोकगीत/कविता आदि को गाने के लिये सम्भागियों को प्रोत्साहित करें, जिनसे जन चेतना को आन्दोलित करने व समर्पण भाव से भूमिका निर्वहन की भावना जागृत करने में सहयोग मिल सकें।

प्रतिवेदन

:- * प्रथम दिवस जिस समूह को प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निवेदन करें।


* प्रतिवेदन पढ़ने के पश्चात् अन्य सम्भागियों से प्रथम दिवस के सत्रों की विषय वस्तु व प्रक्रियाओं पर विचार व्यक्त करने का आग्रह करें। सम्भागियों द्वारा व्यक्त सुझाव यदि प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं तो उनका भी आगामी सत्रों में समावेश किया जा सकता है।

सावधानी

:- प्रार्थना सत्र में सभी सम्भागियों को समान रूप से प्रार्थना, गीत, प्रतिक्रिया आदि में समान रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करें, किन्तु इस हेतु किसी को बाध्य नहीं करें।

निष्कर्ष

:- सम्भागी प्रार्थना एवं अभिव्यक्ति सत्र में सहज हो सकेंगे तथा प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में पूर्ण सहभागिता से भाग लेने के लिये मानसिक रूप से सक्रिय हो सकेंगे।



द्वितीय सत्र

शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम - एक परिचय

समय : 9.45 से 11.00

उद्देश्य

- :- 1. शिक्षकों को शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख घटकों एवं उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करना।
2. शिक्षकों में कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना।
3. शिक्षकों व विद्यार्थियों के माध्यम से विद्यालय, परिवार व समुदाय में स्वच्छता का सन्देश पहुँचाकर स्वास्थ्यप्रद आदतों का विकास करना।
4. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाना।

चर्चा का बिन्दु

:- शाला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम


विषय वस्तु

- :- 1. सामान्यतः कार्यक्रम क्रियान्वयन में लाभार्थी की भूमिका गौण हो जाती है। फलस्वरूप कार्यक्रम क्रियान्वयन के उपरान्त भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। अतः कार्यक्रम क्रियान्विती को प्रभावी बनाने के लिये शिक्षकों एवं छात्रों को इसकी सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है।
2. कार्यक्रम क्रियान्वयन में शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक व समुदाय की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।
3. कार्यक्रम क्रियान्वयन से शिक्षकों, छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय को होने वाले लाभ की जानकारी देना।
4. विद्यालयों में दी जाने वाली पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं हेतु वित्तीय प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना।

क्रियाविधि-1.

:-

सन्दर्भ व्यक्ति सभी संभागियों को इस कार्यक्रम की जानकारी देने से पूर्व जानने का प्रयास करें कि संभागियों को इस कार्यक्रम के बारे में क्या-क्या जानकारी पूर्व में है। संभागियों द्वारा दी गई जानकारी को श्याम पट्ट/कार्ड शीट पर अंकित करें। तदुपरान्त हस्तप्रति-3 (पृष्ठ संख्या 81 से 85) पर दी गई शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की हस्तप्रति सम्भागियों को पढ़ने हेतु दें। हस्तप्रति के अध्ययन हेतु 10 मिनट का समय दें। तदुपरान्त सम्भागियों से अग्रलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करें :-



- (i) इस कार्यक्रम को विद्यालय में लागू करने के उद्देश्य क्या हैं ?
- (ii) कार्यक्रम क्रियान्वयन से छात्र-छात्राओं एवं समुदाय को क्या लाभ प्राप्त होंगे।
- (iii) कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय/मूत्रालय तथा पेयजल व्यवस्था हेतु क्या प्रावधान हैं ?
- (iv) विद्यालय में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किस प्रकार लागू किया जा सकता है?


- * सम्भागियों के विचारों को श्यामपट्ट/कार्डशीट पर अंकित करें तथा यदि कोई मुख्य बिन्दु छूट जाए तो सन्दर्भ व्यक्ति उसकी जानकारी प्रदान करें।
- * चर्चा को समेकित करते हुए सन्दर्भ व्यक्ति इस तथ्य को उभारें कि इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्विती से बालक-बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार आएगा तथा पर्यावरण को स्वच्छ व स्वास्थ्यप्रद बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके माध्यम से वास्तविक अर्थ में गुणात्मक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।

क्रियाविधि-2

उपरोक्त पर चर्चा करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में (i) विद्यार्थियों, (ii) शिक्षकों, (iii) प्रधानाध्यापकों व (iv) एस.डी.एम.सी. की क्या भूमिका हो सकती है, ये सभी विद्यालयी व्यवस्था में कैसे सहयोग कर सकते हैं ? पर समूह चर्चा करवाएं।

भूमिका निर्धारण के लिये सम्भागियों को चार समूहों में विभक्त करें तथा नीचे दी गई सारणी अनुसार समूह चर्चा को कार्डशीट पर अंकित करने हेतु निर्देशित करें (नोट : उदाहरणस्वरूप एक गतिविधि की प्रक्रिया को सारणी में अंकित किया गया है, सन्दर्भ व्यक्ति की सहायतार्थ)। विद्यालय के विभिन्न हितार्थियों की भूमिकाओं पर कुछ बिन्दु उदाहरण स्वरूप परिशिष्ट-1 पृष्ठ संख्या 135-136 में दिए गए हैं।


समूह चर्चा हेतु 10 मिनट का समय दें, तदुपरान्त सभी समूहों को 5-5 मिनट में समूह चर्चा में उभरे बिन्दुओं को बताने को कहें। बड़े समूह में अन्य समूहों से उन पर विचार आमंत्रित कर सन्दर्भ व्यक्ति चर्चा को समेकित करें। ध्यान रहे जो बात एक समूह द्वारा बता दी गई है उसे दूसरा समूह न दोहराएं।



| क्र. सं. | गतिविधि का नाम | विद्यार्थियों की भूमिका | | शिक्षकों की भूमिका | | प्रधानाध्यापक की भूमिका | | SDMC की भूमिका | |
|----------|-----------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | | विद्यालय | घर | विद्यालय में | समुदाय में | विद्यालय में | समुदाय में | विद्यालय में | समुदाय में |
| 1. | शौचालय का उपयोग एवं रख-रखाव | उपयोग एवं रखरखाव में सहयोग/ (उपयोग करने के बाद साफ करेंगे) | शौचालय का उपयोग करेंगे। खुले में शौच नहीं करेंगे यदि घर में शौचालय नहीं है तो बनाने के लिए माता-पिता को प्रेरित करेंगे। | छात्र/ छात्राओं को शौचालय/ मूत्रालय उपयोग एवं रखरखाव करने हेतु प्रेरित करेंगे। | जनसामान्य को शौचालय की उपयोगिता की जानकारी देंगे। | शिक्षकों एवं छात्र/ छात्राओं को शौचालय के उपयोग व नियमित रख-रखाव हेतु प्रेरित करेंगे। शौचालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। | छात्र/छात्राओं व अभिभावकों को घरेलू शौचालय निर्माण व उपयोग हेतु प्रेरित करेंगे। | शौचालय/ मूत्रालय साफ रखने में छात्र/ छात्राओं को प्रेरणा एवं आर्थिक/ भावनात्मक सहयोग करेंगे। | अपने घरों में शौचालय निर्माण व उपयोग करेंगे। |

समूह प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति चर्चा को समेकित करें कि विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतें विकसित करने एवं ग्रामीण स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सभी हितार्थी अपनी-अपनी भूमिकाओं का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे, तभी कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

निष्कर्ष :- सम्भागियों में कार्यक्रम की समझ विकसित हो गई है। सम्भागी छात्र/छात्राओं का सहयोग लेकर विद्यालय एवं गाँव में स्वच्छता की आदतें विकसित करने में सक्रिय योगदान देंगे, फलस्वरूप विद्यार्थियों व आमजन के स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार आएगा।



तृतीय सत्र

निर्माण कार्यों की आवश्यकता का आंकलन करना

समय : 11.15 से 12.00

उद्देश्य

- :- 1. विद्यालय में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता आंकलन के मापदण्डों की जानकारी प्रदान करना।
3. विभिन्न सुविधाओं के निर्माण हेतु SSA व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना।


चर्चा के बिन्दु

- :- * निर्माण कार्यों के तहत विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएँ।
* विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय प्रावधान।

क्रियाविधि :-

1. सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षणार्थियों से पूछें कि एक अच्छे विद्यालय में क्या-क्या भौतिक सुविधाएँ होनी चाहिए। इन्हें श्यामपट्ट/कार्डशीट पर अंकित कर बताए कि निर्माण कार्यों के तहत विद्यालय में निम्नांकित सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं :- (सन्दर्भ व्यक्ति पहले से ही इन्हें कॉडशीट पर लिख लेवें)

- (i) कक्षा-कक्ष
- (ii) प्रधानाध्यापक कक्ष
- (iii) शौचालय/मूत्रालय
- (iv) पेयजल सुविधा
- (v) हाथ धोने की सुविधा
- (vi) गन्दे पानी के उचित निस्तारण की व्यवस्था (बगीचे में या सोखता गड्ढे में)
- (vii) आनन्ददायी शिक्षण हेतु खेलकूद की सुविधाएँ।
- (viii) आदर्श विद्यालय परिसर
- (ix) सूखा कचरा निस्तारण हेतु कचरा गड्ढा (गार्बेज पिट)
- (x) शिक्षण अधिगम सामग्री (T.L.M.)
- (xi) पेड़-पौधे
- (xii) चारदीवारी मय गेट




क्रियाविधि:-

2.

उपरोक्त जानकारी देने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से जाने की उपरोक्त सुविधाओं को विद्यालय में देने हेतु क्या मापदण्ड एवं वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। तदुपरान्त नीचे दी गई जानकारी से प्रशिक्षणार्थियों का परिचय कराए :-

| क्रम सं. | निर्माण का प्रकार | स्वीकृति के मापदण्ड | आकार | वित्तीय मापदण्ड (वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुसार) |
|----------|---|---|---|--|
| 1. | कक्षा कक्ष/ अतिरिक्त कक्षा कक्ष | (i) प्रति 40 छात्रों पर एक कक्षा कक्ष अथवा प्रत्येक अध्यापक हेतु एक कक्षा कक्ष जो भी न्यूनतम हो। | 16 × 20 | 1.50 लाख (SSA/DPEP) |
| 2. | विद्यालय भवन अति. कक्षा कक्ष मय किचिन शेड | (i) भवन रहित राजीव गाँधी से प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष मय किचिन शेड | 16×20 | 1.60 लाख (SSA/DPEP) |
| | | (ii) भवन रहित राजीव गाँधी से प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष | 16×20 | 1.50 लाख (SSA/DPEP) |
| | | (iii) भवन रहित प्राथमिक विद्यालय अथवा नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु 2 कक्षा कक्ष मय बरामदा व प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय एवं पेयजल सुविधा | | 4.68 लाख |
| | | (iv) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत होने पर उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन की आवश्यकतानुसार कक्ष उपलब्ध न होने पर एक कक्षा- कक्ष मय किचिन शेड एवं दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष (नोट : जहाँ पूर्व में ही किचिन शेड बना हुआ है वहाँ तीनों कक्षा कक्ष बिना किचिन शेड के स्वीकृत किए जाएं) | 16×20 + 1 किचिन शेड 16×20 - 2 अति. कक्षाकक्ष | 1.60 लाख 3.00 लाख (SSA/DPEP) |



- (iv) भवन रहित उच्च प्राथमिक विद्यालय
हेतु 3 कक्षा कक्ष मय बरामदा व
प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय
एवं पेयजल सुविधा

5.38 लाख

2. प्रधानाध्यापक कक्ष

प्रत्येक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक 16×20
विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक कक्ष होना
चाहिये। अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध होने
पर उसे प्रधानाध्यापक कक्ष माना जाय। यदि
न हो तो प्रधानाध्यापक कक्ष स्वीकृत किया
जा सकता है।

1.50 लाख
(SSA/DPEP)

3. शौचालय

- (i) प्रत्येक सह शिक्षा विद्यालय में दो
शौचालय/मूत्रालय ब्लॉक-एक
बालिकाओं हेतु व दूसरा बालकों
हेतु

3 मूत्रालय +
1 शौचालय

20,000 प्रति
शौचालय ब्लॉक
(TSC/SSA)

- (ii) पुराने शौचालय/मूत्रालय की
मरम्मत एवं टाइल्स फिटिंग करवाना


5000 प्रति
शौचालय
(TSC)


4. पेयजल सुविधा

प्रत्येक विद्यालय में हैंडपम्प PHED
कनेक्शन/वर्षा जल संग्रहण
टांका/अन्य

प्रत्येक विद्यालय में

(ARWSP/SSA)
(त्वरित ग्रामीण
पेयजल आपूर्ति
कार्यक्रम)






- | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|---|
| 5. | हाथ धोने की व्यवस्था | प्रत्येक विद्यालय में शौचालय के के साथ या अतिरिक्त | छात्र/छात्राओं की संख्याानुरूप नल | TSC/SSA शौचालय की लागत में सम्मिलित SSA/TSC |
| 6. | बेकार पानी का उचित निस्तारण | प्रत्येक विद्यालय में सोखा गड्ढा बनाकर बेकार पानी का निस्तारण करना या पेड़-पौधों में नाली बना कर पहुँचाना | शिक्षकों छात्र/छात्राओं द्वारा श्रमदान से | |

नोट : वित्तीय प्रावधान सत्र 2006-07 के निर्धारित मानदण्डानुसार है।

उपरोक्तानुसार सम्भागियों को जानकारी प्रदान करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति बताए कि प्रत्येक विद्यालय की SDMC अपने विद्यालय में वांछित सुविधाओं का आंकलन कर CRCF/BRCF के माध्यम से जिला परियोजना समनन्वयक सर्व शिक्षा अभियान के पास तदनु रूप राशि स्वीकृति हेतु मांगपत्र भेजकर कार्यों को स्वीकृत करवा सकते हैं।

निष्कर्ष :-

सम्भागी विद्यालय में वांछित मूलभूत सुविधाओं का आंकलन करना व उनकी पूर्ति करने के लिये उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के विषय में जान गए हैं तथा स्थानीय विद्यालय की आवश्यकतानु रूप उचित कार्यवाही करने को तत्पर है।



चतुर्थ सत्र

प्रकरण : भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण

समय : 12.00 से 1.00
व 2.00 से 3.00

उद्देश्य

- :- 1. विद्यालय में भवन निर्माण के दौरान ध्यान देने योग्य आवश्यक तकनीकी जानकारीयों से सम्भागियों को परिचित कराना।
2. गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के मापदण्डों का निर्धारण करना।

चर्चा का बिन्दु

:- गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के मापदण्ड।

क्रियाविधि

:- सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से चर्चा करें कि निर्माण कार्य के विभिन्न चरण कौन कौनसे हैं तथा प्रत्येक चरण में गुणवत्ता निर्धारण के लिए किन तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ? सम्भागियों द्वारा बताए गये तथ्यों में से महत्वपूर्ण अंशों को श्याम पट्ट/कार्डशीट पर अंकित करें। सम्भागियों को 5 समूहों में विभक्त कर भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण की हस्तप्रति संख्या पृष्ठ संख्या 105 से 112 से सूचनाओं को निम्नानुसार कार्डशीट पर अंकित कर प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश दें -

क्रम सं. निर्माण कार्य गुणवत्ता निर्धारण हेतु मापदण्ड विशेष विवरण


समूहों का कार्य विभाजन निम्नानुसार करें :-

- * प्रथम समूह :- स्थान निर्धारण नींव तथा कुर्सी से सम्बन्धित जानकारीयों का प्रस्तुतिकरण करें।
- * द्वितीय समूह :- चुनाई, लिन्टल तथा खिड़की से सम्बन्धित जानकारीयों का प्रस्तुतिकरण करें।
- * तृतीय समूह :- छत, प्लास्टर, ब्लैक बोर्ड से सम्बन्धित जानकारीयों का प्रस्तुतिकरण करें।
- * चतुर्थ समूह :- रंग-सफेदी, शौचालय निर्माण उपयोगिता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित जानकारीयों का प्रस्तुतिकरण करें

चारों समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति स्पष्ट करें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये गुणवत्तायुक्त भवन निर्माण की आवश्यकता है। अतः सभी सम्भागियों को विद्यालय में किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में बताई गई जानकारीयों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये।

निष्कर्ष

:- सम्भागी भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण के मापदण्डों के विषय में जान गए हैं तथा उनके विद्यालय में निर्माण कार्यों में इन मापदण्डों की अनुपालना



पंचम सत्र

शौचालय निर्माण तकनीक

समय : 3.00 से 4.20

उद्देश्य

- :-
1. विद्यालयों तथा घरों में बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शौचालयों के निर्माण की तकनीकी जानकारी से सम्भागियों को अवगत कराना।
 2. शौचालय निर्माण के दौरान रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियों से सम्भागियों को अवगत कराना।
 3. शौचालय के सही उपयोग व रख-रखाव के तरीकों की जानकारी प्रदान करना।

चर्चा के बिन्दु


- :-
- * विद्यालय एवं विभिन्न घरेलू शौचालय निर्माण की तकनीक।
 - * शौचालय निर्माण के दौरान ध्यान देने योग्य बातें।

क्रियाविधि-1.

सन्दर्भ व्यक्ति दिए गये चित्रों को सम्भागियों को दिखाकर चर्चा करें कि घर या विद्यालय में शौचालय न होने पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?



- * ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घरों में शौचालय क्यों नहीं बनाए जाते हैं ?
- * चर्चा द्वारा यह तथ्य उभारने का प्रयास करें कि घरेलू या संस्थागत शौचालय नहीं होने पर महिला, पुरुष, बच्चों सभी को अनेक प्रकार की शारीरिक व मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अतः इनसे निजात पाने का सरलतम उपाय घरों/विद्यालयों में शौचालय निर्माण एवं उनका उपयोग है।
- * सन्दर्भ व्यक्ति अलग-अलग सम्भागियों से चर्चा करें कि (i) यदि घर में शौचालय बनाना हो तो इसकी न्यूनतम लागत क्या होगी ?
(ii) किस-किस प्रकार के घरेलू शौचालय बनाए जा सकते हैं ? सम्भागियों से प्राप्त उत्तरों को कॉर्डशीट/ब्लैक बोर्ड पर अंकित करें।



क्रियाविधि-2 :-

सन्दर्भ व्यक्ति उपरोक्त चर्चा के आधार पर बताए कि वर्तमान में क्षेत्र विशेष के आधार पर शौचालय निर्माण के अनेक तकनीकी विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ की तकनीकी जानकारी “शौचालय निर्माण : तकनीकी विकल्प एवं रख-रखाव” नामक हस्तप्रति संख्या 7 पृष्ठ क्रमांक 113 से 123 में दी गई है। इनका अध्ययन करने के लिये सम्भागियों को पाँच समूहों में बाँटकर अध्ययन करने एवं प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशित करें :-

प्रथम समूह - विकल्प - 1

द्वितीय समूह - विकल्प - 2

तृतीय समूह - विकल्प - 3


चतुर्थ समूह - विकल्प - 4 तथा

पंचम समूह - संस्थागत शौचालय

- * प्रत्येक समूह अध्ययन व समूह चर्चा के उपरान्त निर्धारित विकल्प की तकनीकी जानकारी, उपयोग के तरीके, लाभ व सावधानियों आदि का चार्ट बनाकर प्रस्तुतिकरण करेंगे।
- * प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति, यदि कोई विशेष बात या तकनीकी जानकारी छूट जाए तो उसे अवश्य बताएं।

निष्कर्ष :-

सम्भागी शौचालय न होने से होने वाली परेशानियों से परिचित हो गए हैं। अब वे घर एवं विद्यालय में उपयुक्तता के आधार पर शौचालय निर्माण एवं उपयोग करेंगे तथा स्थानीय समुदाय को शौचालय निर्माण व उपयोग हेतु प्रेरित करेंगे।



छठा सत्र

बालमित्र विद्यालय एवं कक्ष सज्जा

समय : 4.30 से 6.00

उद्देश्य

- :- 1. विद्यालय भवन को बच्चों के संज्ञानात्मक एवं असंज्ञानात्मक क्षेत्रों के विकास में योगदान देने के अनुरूप विकसित करना।
2. विद्यालय व बच्चों की आवश्यकतानुरूप निर्माण कार्यों में नवीनता लाकर विद्यालय को आनन्दायी शिक्षा केन्द्र बनाना।
3. बच्चों के लिए स्वयं सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना।


चर्चा का बिन्दु


:- विद्यालय भवन/कक्षाकक्ष निर्माण के दौरान किए जा सकने वाले नवाचार।

क्रियाविधि-1.

:- सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से चर्चा करें कि विद्यालय परिसर को आनन्ददायी बनाने के लिये क्या उपाय किए जा सकते हैं। सम्भागियों के सुझावों को श्यामपट्ट पर अंकित करने के उपरान्त निम्नांकित जानकारियाँ उन्हें दें :-

बच्चों की औपचाकि शिक्षा की शुरुआत विद्यालय से होती हैं। अतः विद्यालय परिवेश बच्चों की सीखने-समझने की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध करवायी जाने वाली प्रत्येक भौतिक वस्तु या निर्माण कार्य इस प्रकार







कराया जाए जो बच्चों को स्वयं तथ्यों/प्रक्रियाओं को सीखने व समझने की क्षमता को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सके। इससे बच्चों को न सिर्फ गुणात्मक शिक्षा देना सम्भव होगा, अपितु विद्यालय से उनके पलायन पर भी स्वतः ही रोक लग जाएगी। अतः विद्यालय भवन को बच्चों के आकर्षण व क्षमतावर्धन का केन्द्र बिन्दु बनाने के लिये निम्नांकित क्षेत्रों में ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।


1. कक्षा कक्ष :-

कक्षा-कक्ष निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाए कि उम्र के साथ बच्चों की लम्बाई, वजन आदि बढ़ते रहते हैं। अतः वे सभी चीजें जैसे मेज, कुर्सी, श्याम पट्ट, आलमारी, खिड़कियाँ आदि जो बच्चों के इस्तेमाल की हैं, वे आरामदायक और इस बदलाव के

अनुकूल होनी चाहिए। कक्षा कक्ष निर्माण के समय अग्रांकित तथ्यों का ध्यान रखा जाए :-

1. प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो ब्लैक बोर्ड हो।
2. प्राथमिक कक्षाओं में खिड़की के नीचे वाले भाग में छात्र/छात्राओं के लिखने के लिये बोर्ड, पेन्टिंग के लिये जगह छोड़ी जाय। शब्द संरचना व व्याकरण के पद क्रम दीवारों के इस भाग में बनाए जा सकते हैं जैसा कि चित्र में बताया गया है।
3. खिड़कियों की ग्रिल में वर्णमाला, आकृति, ज्यामितीय आकृतियाँ व भिन्न की आकृतियाँ अंकित की जा सकती है।





4. कक्षा कक्ष की दीवारों पर कहानियों, नक्शों स्वच्छता व स्वास्थ्यप्रद आदतों, बच्चों की चिन्तन व तार्किक क्षमता को बढ़ाने वाले चित्र/चित्र कथाओं/घटनाक्रमों आदि को बनवाया जाना चाहिये।


चित्रों का उपयोग बच्चों को अपनी बात कहने को प्रेरित करने एवं उनके तर्क करने की क्षमता बढ़ाने के लिये किया जाना चाहिये। अतः चित्रों/चित्रकथाओं का चयन इस प्रकार किया जाय जो बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सके, घटनाओं की क्रमिकता जोड़ने या गढ़ने को प्रेरित कर सकें।

5. कक्षा कक्षों में लर्निंग कॉर्नर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री को रखा जा सकता है, जिसे बच्चे सरलता से देख व उपयोग कर सकें।


6. विभिन्न प्रकार के चार्ट्स टांगने हेतु लकड़ी की खूंटियाँ लगायी जा सकती हैं।

7. विद्यार्थियों की लम्बाई नापने के लिये दीवार पर फुट व मीटर में स्केल बनाया जा सकता है।


8. फर्श और दीवारों पर बिन्दु पट्ट बनाए जा सकते हैं। बिन्दु पट्ट लिखने के काम आने वाली ऐसी सतह होती है, जिसमें निश्चित क्रम में बिन्दु होते हैं। इन्हें चॉक के द्वारा




विभिन्न रचनात्मक तरीकों से एक बिन्दु से दुसरे बिन्दु तक सीधे, तिरछे आड़े क्रम में जोड़कर अनेक प्रकार की ज्यामितिय व अन्य आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। इनका इस्तेमाल गणित, अक्षर, चीजों के रेखांकन, भाषा, ज्यामितीय आकृतियों की संरचना की समझ विकसित करने में किया जा सकता है।




9. चौखाने वाला पट्ट दीवार या फर्श पर बनाया जा सकता है। इसमें 10 खड़ी व 10 आड़ी रेखाओं से बराबर आकार वाले चौकोर खानों का खाका बनाकर काम में लिया जा सकता है। इनका उपयोग गणित, भाषा, मानचित्रण, चित्र बनाने, शब्द सीढ़ी आदि में किया जा सकता है।



10. द्वार मापक कोण-
कक्षा के दरावजे विभिन्न कोण पर खुलते व बन्द होते हैं। अतः गणित के अन्तर्गत सिखाए जाने वाले कोण की अवधारणा को इसके माध्यम से सरलता से सिखाया जा सकता है। इसके लिये नया फर्श बनाते समय या फर्श की मरम्मत करते समय चित्रानुसार कोण बनाए जा सकते हैं। पुराने फर्श पर पेन्ट करके भी इन्हें बनाया जा सकता है।






2. विद्यालय के बरामदे :- विद्यालय के बरामदों को बनाते समय या उनकी मरम्मत करते समय बरामदों को आकर्षक एवं बच्चों के खेलने व सीखने के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस हेतु बरामदों में :-

- (i) फर्श पर विभिन्न प्रकार के खेले सीमेन्ट रंग या पेन्ट से बनाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये खेल बरामदों के मध्य में न बनाकर साइडों या कॉर्नर्स में बनाए जाने चाहिए ताकि बच्चों के खेलने व अन्य व्यक्तियों के आने-जाने में बाधा उत्पन्न न हो।
- (ii) दीवारों पर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ, चौखाने, बोर्ड, मानचित्र के खाके व पजल बॉक्स बनाए जा सकते हैं।
- (iii) पिलर्स पर चित्रानुसार चन्द्रमा की कलाओं के बढ़ने-घटने के चित्र बनाए जा सकते हैं तथा नीचे फर्श पर आरोही अवरोही क्रम में गिनती, पहाड़े आदि खाने कर लिखे जा सकते हैं। इनके साथ खेलने पर बच्चे इन तथ्यों को समझ सकेंगे।

3. विद्यालय परिसर (आहता) विद्यालय परिसर को आकर्षक व उपयोगी बनाने के लिये अग्रांकित कार्य किए जा सकते हैं :-







- (i) विद्यालय भवन के आसपास पेड़-पौधे लगाए जाए। पेड़ इस प्रकार लागे जाए जिससे विद्यालय भवन पर तेज धूप के दौरान छाया रह सके साथ ही प्रकाश भी पूरा आ सके। ऐसा करने से गर्मी की ऋतु में तेज गर्मी के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। पेड़ों का चयन इस प्रकार किया जाय कि इमारत के सूर्योन्मुखी हिस्सों विशेषतः दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम में शीतकालीन पतझड़ी वृक्ष को लगाया जाय ताकि शीत ऋतु में पर्याप्त गर्मी व ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त ठण्डक मिल सके। इस दृष्टि से कुछ पेड़ अग्रांकित हो सकते हैं :-

- बहेड़ा
- चम्पा
- गुलमोहर
- इमली
- कचनार
- पलाश/टेसू
- ग्रीष्म ऋतु में हरी-भरी रहने वाली कुछ लताओं (बेलों) के माध्यम से भी दीवारों और छत पर पड़ने वाली सीधी गर्मी के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है, ऐसी कुछ लताएँ हैं :-

- माधवी/मधुमालती
- बोगन वेलिया
- पर्दा बेल
- रेल्वे क्रीपर
- मोगरा
- चमेली





ये सभी आसानी से लगने वाली व कम पानी में जीवित रहने वाली बेलें हैं, साथ ही अत्यन्त कम जगह में सरलता से लगायी जा सकती है।

- (ii) पेयजल स्रोत से बेकार बहने वाले पानी को नाली बनाकर सोखा गड्ढे में डाला जाय। नाली के दोनों तरफ ऐसे पौधे लगाए जा सकते हैं, जिन्हें पानी कम चाहिये तथा देखभाल की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती है, जैसे-

(i) ग्वारपाठा (एलोवेरा) - हर मौसम में जीवित रहने वाला पौधा है।

(ii) तुलसी

(iii) मेहन्दी


(iv) पोदीना आदि।

- (iii) विद्यालय के पिछवाड़े में लगे पेड़ों व दीवार के सहारे चबूतरा चौड़ा बनाकर उन पर बोर्ड बनाया जा सकता है। सर्दी की ऋतु में यहाँ बच्चों की कक्षाएं लगायी जा सकती है। यहां बच्चों के सामान रखने के लिये कुछ आलमारियाँ भी बनायी जानी चाहिये।

- (iv) खेल के मैदान में बच्चों के लिये झूले, फिसलपट्टी, मेरी-गो-राऊन्ड, सी.सा. आदि बनाए जा सकते हैं। झूले बनाने के लिये परिसर में लगे बड़े व मजबूत वृक्षों की टहनियों पर रस्से व पुराने टायर की सहायात से सस्ते झूले बनाए जा सकते हैं।

- (v) मैदान में विद्यालय का नक्शा भारत व राजस्थान का नक्शा प्लास्टर ऑफ पेरिस या, घास लागकर भी बनाया जा सकता है। विद्यालय के नक्शे के आधार पर बच्चों को समझाया जा सकता है कि जैसे विद्यालय में अलग-अलग कमरे व क्षेत्र बने हैं, उसी प्रकार हमारे देश में राज्य व राज्यों में विभिन्न जिलें स्थित हैं। इससे नक्शे की सही अवधारणा का बच्चों में विकास किया जा सकता है।

उपरोक्त जानकारी देने के पश्चात् सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से उनके विद्यालय की स्थानीय परिस्थितियों व आर्थिक संसाधनों के अनुरूप विद्यालय में नवाचारित दृष्टिकोण अपनाकर निर्माण व विकास कार्य करवाने को प्रेरित करें। साथ ही इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करें कि प्रत्येक स्थिति में बनाई/विकसित की गई सुविधाएं बच्चों के स्तरानुकूल व उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाली हो।



क्रियाविधि-2. :-

विद्यालय भवन निर्माण के समय किए जा सकने वाले नवाचारों की जानकारी प्रदान करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को तीन समूहों में विभक्त करें। प्रत्येक समूह को स्थानीय विद्यालय का अवलोकन व चर्चा कर यह निर्धारित करना है कि उन्हें आवंटित क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान, क्या गतिविधियों/संरचनाएं/चित्र/खेल/चार्ट्स या अन्य, बनाए विकसित किए जा सकते हैं, जो बच्चों की सीखने-समझने की प्रक्रिया को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकें। तीनों समूहों को निम्नानुसार क्षेत्र आवंटित करें :-

- * प्रथम समूह - कक्षा-कक्ष के अन्दर किए जा सकने वाले कार्य।
- * द्वितीय समूह - बरामदों में लिए जा सकने वाले कार्य।
- * तृतीय समूह - विद्यालय परिसर में किए जा सकने वाले कार्य।

प्रत्येक समूह को चर्चा व चर्चा में व्यक्त विचारों को लिपिबद्ध करने के लिये 20 मिनट का समय दें, तदुपरान्त प्रत्येक समूह को प्रस्तुतिकरण हेतु 5 मिनट का समय प्रदान करें।


समूह चर्चा में उभरे बिन्दुओं को समेकित करते हुए सन्दर्भ व्यक्ति, सम्भागियों से उनके विद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान या टूट-फूट (रिपेयर) के दौरान, व्यक्त सुझावों पर अमल करने पर आग्रह करें।

निष्कर्ष

:-

सम्भागी विद्यालय में किए जाने वाले निर्माण कार्यों को बच्चों की क्षमता वृद्धि के लिये कैसे किया जाय के तथ्य को समझ गए हैं तथा उनके विद्यालय में तदनुरूप कार्य करने को प्रेरित हुए हैं।

तृतीय दिवस



प्रथम सत्र

प्रार्थना एवं प्रतिवेदन

समय : 9.00 से 9.45

प्रार्थना एवं अभियान गीत * सवधर्म प्रार्थना व विद्यालय में प्रार्थना सत्र में प्रयुक्त होने वाली अन्य कोई एक प्रार्थना-एकात्मभाव का वातावरण बनाने के लिए।

- * अभियान गीत/लोकगीत/कवित आदि को गाने के लिये सम्भागियों को प्रोत्साहित करें, जिनसे जन चेतना को आन्दोलित करने व समर्पण भाव से भूमिका निर्वहन की भावना जागृत करने में सहयोग मिल सकें।

प्रतिवेदन


- :- *
- द्वितीय दिवस जिस समूह को प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निवेदन करें।
 - प्रतिवेदन पढ़ने के पहचान अन्य सम्भागियों से द्वितीय दिवस के सत्रों की विषय वस्तु व प्रक्रियाओं पर विचार व्यक्त करने का आग्रह करें। सम्भागियों द्वारा व्यक्त सुझाव यदि प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं तो उनका भी आगामी सत्रों में समावेश किया जा सकता है।

सावधानी

- :-
- प्रार्थना सत्र में सभी सम्भागियों को समान रूप से प्रार्थना, गीत, प्रतिक्रिया आदि में भागीदारी हेतु प्रेरित करें, किन्तु इस हेतु किसी को बाध्य नहीं करें।

निष्कर्ष

- :-
- सम्भागी प्रार्थना एवं अभिव्यक्ति सत्र में सहज हो सकेंगे तथा प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में पूर्ण सहभागिता से भाग लेने के लिये मानसिक रूप से सक्रिय हो सकेंगे।



द्वितीय सत्र

गुणात्मक शिक्षा के प्रमुख घटक व समुदाय की भूमिका

समय : 9.45 से 11.00

- उद्देश्य :-
1. सर्व शिक्षा अभियान/डी.पी.ई.पी. के उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करना।
 2. नामांकन एवं ठहराव में कमी के कारणों व वृद्धि करने के उपायों पर चर्चा करना।
 3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रमुख घटकों पर चर्चा करना तथा समुदाय की गुणात्मक शिक्षा में भूमिका का निर्धारण करना।

चर्चा का बिन्दु :-

गुणात्मक शिक्षा के प्रमुख घटक : सामुदायिक मुखियाओं की भूमिका

क्रियाविधि-1.

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परियोजना अन्तर्गत क्या प्रावधान है तथा समुदाय की क्या भूमिका अपेक्षित है, यह तथ्य कार्यक्रम के सभी भागीदारों को स्पष्ट होना आवश्यक है।

सन्दर्भ व्यक्ति पहले से ही सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं प्रावधानों को एक कार्डशीट पर लिख लेवें तथा सम्भागियों को उनकी जानकारी प्रदान करें।

गतिविधि-2

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों पर चर्चा (जानकारी प्रदान) करने के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को यूनिसेफ द्वारा निर्मित 'मीना' फिल्म के अंक 1 में से भाग (3) क्या मीना को स्कूल छोड़ना पड़ेगा? तथा अंक 2 में से भाग (3) मीना की तीन इच्छाएं तथा भाग (4) एक लड़की की कहानी, दिखाएँ तदुपरान्त सम्भागियों को पाँच समूहों में विभक्त कर एक-एक समूह को निम्नानुसार 30 मिनट तक चर्चा करने दें। समूह चर्चा में उभरे बिन्दुओं को निम्नानुसार प्रस्तुत करने का अनुरोध करें :-

समूह क्रमांक


विषय

कारण

सामुदायिक स्तर पर किए जा सकने वाले उपाय

प्रथम समूह

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में कमी के कारण एवं वृद्धि के उपाय (विशेषतः बालिकाओं हेतु)



द्वितीय समूह

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न हो पाने के कारण
व गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उपाय

तृतीय समूह

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के
व अन्य समितियों के सक्रिय भागीदारी
न होने के कारण व भागीदारी बढ़ाने
के उपाय।

चतुर्थ समूह

- (i) बच्चों में अपेक्षित मूलभूत
जीवन कौशल कौन-कौनसे हैं।
- (ii) उनके विकास में बाधक कारण
- (iii) विकास करने के उपाय


पंचम समूह

विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के
लिए वांछनीय मूलभूत सुविधाएँ, उनकी
स्थिति एवं सुधार के उपाय।

विभिन्न समूहों में व्यक्त किये जाने वाले प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हो सकते हैं :-


प्रथम समूह :- कारण

- (i) परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होना।
- (ii) आवासीय बस्ती के या गाँव के समीप विद्यालय की सुविधा न होना।
- (iii) विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का न होना।
- (iv) विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना
(पेयजल/शौचालय/कमरे आदि)
- (v) शिक्षण अरुचिपूर्ण होना।
- (vi) बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहना।
- (vii) माता-पिता में जागरूकता का अभाव।
- (viii) विद्यालय वातावरण का अरुचिपूर्ण होना
(आकर्षण रहित व खेलकूद की सुविधाओं रहित विद्यालय आदि)



उपाय :-

- (i) प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क तथा बालिकाओं के लिये कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है। अतः माता-पिता को समझाने की आवश्यकता है।
 - (ii) सर्व शिक्षा अभियान/डी.पी.ई.पी. द्वारा प्रत्येक गाँव/बस्ती के समीप प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। विद्यालय भवन न होने पर सामुदायिक सहयोग से विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है।
 - (iii) शिक्षकों की कमी होने पर एसडीएमसी/ग्राम शिक्षा समिति जिला शिक्षा अधिकारी से शिक्षक नियुक्ति हेतु अनुरोध करे। साथ ही गाँव के शिक्षित व्यक्तियों द्वारा भी उपलब्ध शिक्षकों का सहयोग किया जा सकता है।
 - (iv) टी.एस.सी./डी.पी.ई.पी./एस.एस.ए./ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी के तहत विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। अतः (SDMC) इस हेतु जिला प्रशासन से इन्हें उपलब्ध करवाने का अनुरोध करें व उनकी देखभाल व रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाएँ। साथ ही शिक्षकों व छात्र/छात्राओं का रख-रखाव में वांछित सहयोग करें।
- (1) शिक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। समुदाय/परिवारजन छात्र/छात्राओं से विद्यालय में पढ़ाए गए तथ्यों का व्यावहारिक जीवन में कहाँ, क्या व कैसे उपयोग करते हैं की जानकारी प्रदान कर अर्जित जानकारी व सीखने को सहज बना सकते हैं।
- (i) बच्चों में स्वच्छता की आदतों का विकास कर तथा घर, परिवार एवं गाँव, विद्यालय के परिवेश को स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनाकर बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। इस हेतु (i) व्यक्तिगत स्वच्छता (ii) सामुदायिक स्वच्छता (iii) घर एवं भोजन की स्वच्छता (iv) पेयजल की स्वच्छता, उपयोग एवं रखरखाव आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
 - (ii) सामुदायिक सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करके, बच्चों के खेलकूद के उपकरण/साधन उपलब्ध करवा कर व कुछ नवाचार कर विद्यालय को आकर्षक व आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। विद्यालय में सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में समुदाय आर्थिक सहयोग कर सकता है।



द्वितीय समूह :

कारण

1. शिक्षण प्रक्रिया अरुचिपूर्ण एवं व्यावहारिक जीवन के अनुरूप अनुभव प्रदान करने में असमर्थ है।
2. बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है।
3. शिक्षकों द्वारा तथ्यों को छात्र/छात्राओं द्वारा रटने पर बल दिया जाता है, अतः बच्चों में जानकारी का व्यावहारिक जीवन में उपयोग करने की सामर्थ्य कम है।
4. विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है।
5. पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।
6. शिक्षक अधिकांश समय गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, फलस्वरूप शैक्षिक कार्य प्रभावित होता है।
7. छात्र/छात्राओं का विद्यालय से पलायन या नियमित उपस्थिति में कमी के कारण भी गुणवत्ता प्रभावित होती है।
8. बच्चों का खराब स्वास्थ्य भी उनकी उपलब्धियों को प्रभावित करता है।

उपाय:-

1. शिक्षक प्रशिक्षणों को प्रभावी बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सकता है।
2. बच्चों में खुले प्रश्नों के माध्यम से तार्किक चिन्तन का विकास किया जा सकता है। वर्तमान सामाजिक/आर्थिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर उन्हें अपनी बात कहने के अवसर प्रदान कर तथ्यों को समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है।
3. सामुदायिक सहयोग से विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जा सकता है।
4. शिक्षकों की कमी होने पर स्थानीय शिक्षित व्यक्ति शिक्षण व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं।
5. अभिभावक बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर उनकी उपलब्धि स्तर को सुधार सकते हैं।
6. सामुदायिक एवं पारिवारिक स्वच्छता की आदतों का विकास कर बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। सभी के सहयोग से यह सम्भव है। आदि।



तृतीय समूह

कारण

1. (SDMC) के अधिकांश सदस्यों का कम शिक्षित होना।
2. कार्य की अधिकता के कारण विद्यालयी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी न निभा पाना।
3. शिक्षकों द्वारा सदस्यों के सक्रिय सहयोग लेने के प्रयास न करना।
4. सदस्यों के स्वयं के बच्चों के विद्यालय में न पढ़ने के कारण रुचि न लेना।
5. कुछ सदस्यों के प्रभावशाली होने पर अन्य सदस्यों की औपचारिक सहभागिता।

उपाय :-

1. शिक्षित अभिभावकों को प्राथमिकता से सदस्य बनाया जाय।
2. शिक्षकों द्वारा समुदाय के साथ नियमित संवाद किया जाय तथा विद्यालय विकास के कार्यों में सक्रिय सहयोग लिया जाय।
3. निष्क्रिय सदस्यों के स्थान पर सक्रियता से भागीदारी निभाने वाले व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जाय आदि।


चतुर्थ समूह

अपेक्षित जीवन कौशल

1. व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ-सफाई की जानकारी एवं व्यवहार
2. घरेलू एवं सामुदायिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी एवं व्यवहार
3. भाषा के वाचन, लेखन एवं व्यावहारिक उपयोग की क्षमता।
4. गणितीय संगणनाओं का ज्ञान एवं व्यावहारिक उपयोग की क्षमता।
5. सामाजिक एवं पारिवारिक अपेक्षाओं के अनुरूप मानवीय व्यवहार की क्षमता।
6. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन प्रक्रिया का ज्ञान एवं ज्ञानोपयोग की क्षमता।
7. सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार।

मूलभूत जीवन कौशलों के विकास में बाधक तत्व

1. व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ-सफाई की व्यावहारिक जानकारी का अभाव।
2. परिवार एवं समाज में स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद परिवेश के विकास की इच्छा का अभाव।
3. गणित के व्यावहारिक जीवन में उपयोग के प्रशिक्षण की कमी।



4. समुदाय में सामुदायिक दायित्वों के प्रति अपेक्षाकृत दायित्व बोध की कमी।
5. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं।
6. समाज में सामुदायिक दायित्वों के निर्वहन की अपेक्षा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं/अपेक्षाओं की तुष्टि पर अधिक बल, आदि।


उपाय :-

1. विद्यालय में छात्र/छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य के नियमों की व्यावहारिक जानकारी दी जाए एवं उनका अभ्यास करवाया जाय।
2. परिवार में घरेलू स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं आदतों का विकास किया जाय।
3. समुदाय सामान्य स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण के निर्माण में योगदान दे (गन्दे पानी की उचित निकासी, कचरे का उचित निस्तारण एवं खुले में शौच की प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण आदि द्वारा)
4. विद्यालय में प्रदत्त जानकारीयों एवं सूचनाओं पर आधारित व्यावहारिक ज्ञान विकसित करने में परिवार एवं समुदाय छात्र/छात्राओं को सहयोग प्रदान करें।
5. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति समाज में जागृति लाई जाए।
6. समाज के वरिष्ठ व्यक्ति सामुदायिक दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी स्वयं लें जिससे कनिष्ठ प्रेरणा व मार्गदर्शन ले सकें आदि।

समूह पंचम

विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये वांछनीय सुविधाएँ

- (i) स्वच्छ विद्यालय परिवेश एवं पर्याप्त व स्वच्छ कक्षा कक्ष व विद्यालय भवन।
- (ii) आवश्यकतानुरूप शिक्षण अधिगम सामग्री।
- (iii) प्रत्येक कक्षा के लिये न्यूनतम एक शिक्षक।
- (iv) छात्र/छात्राओं हेतु उपयुक्त मनोरंजन एवं खेलकूद सामग्री व उपकरण।
- (v) स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय/मूत्रालय तथा हाथ धोने की सुविधाएँ।
- (vi) जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें तथा
- (vii) पाठ्यक्रमानुरूप जीवन कौशल विकसित करने हेतु व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकने के अवसर आदि।



वर्तमान स्थिति


- (i) अस्वच्छ व अस्वास्थ्यकर विद्यालय परिवेश।
- (ii) अपर्याप्त शिक्षक (विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में)।
- (iii) विद्यालयों में बच्चों की मनोशारीरिक आवश्यकतानुरूप मनोरंजन एवं खेलकूद की सामग्री की कमी है।
- (iv) अधिकांश विद्यालयों में बालिकाओं की आवश्यकतानुरूप शौचालय/मूत्रालय की साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है या उनके ताले लगे रहते हैं।
- (v) सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कम है।
- (vi) पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जनकारी के व्यावहारिक उपयोग की सुविधाएं नहीं हैं। साथ ही शिक्षक भी बच्चों में व्यावहारिक उपयोग की समझ विकसित करने के प्रति जागरूक नहीं है, आदि।

उपाय :-

- (i) विद्यालय परिसर एवं कक्षा-कक्षों की नियमित साफ-सफाई में शिक्षक, छात्र/छात्राएं तथा समुदाय सक्रिय सहभागिता निभाएं।
- (ii) छात्र/छात्राओं को स्वच्छतापूर्वक रहने तथा स्वच्छता रखने हेतु शिक्षित किया जाय व परिवार और समुदाय में उनके व्यवहार पर बल दिया जाय।
- (iii) विद्यालय के शौचालय/मूत्रालय एवं पेयजल स्रोत व उसके आसपास की पर्याप्त स्वच्छता रखी जाय व इस हेतु छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाय।
- (iv) छात्र/छात्राओं के मनोशारीरिक आवश्यकतानुरूप मनोरंजन/खेलकूद/तथ्यात्मक जानकारी के संसाधन जुटाने में समुदाय सहयोग प्रदान करें।
- (v) प्रत्येक कक्षा हेतु एक-एक अध्यापक हो, तथा जब तक उपलब्ध न हो स्थानीय समुदाय किसी शिक्षित/प्रशिक्षित व्यक्ति को उक्त कार्य हेतु अनुबन्धित करें आदि। सन्दर्भ व्यक्ति समूह चर्चा को समेकित करते हुए उभरे मुख्य बिन्दुओं को जो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यानुरूप हो, उन्हें कार्डशीट/ब्लैक बोर्ड पर अंकित करें तथा सम्भागियों को समझाने का प्रयास करें कि सर्व शिक्षा अभियान व समुदाय के लक्ष्य व अपेक्षाएं समान हैं, अतः सभी यदि मिलकर कार्य करें तो सामुदायिक अपेक्षानुरूप बच्चों की सामर्थ्य का विकास किया जा सकता है।

निष्कर्ष :-

सामुदायिक मुखिया यह जान गये हैं कि सर्व शिक्षा अभियान समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ही क्रियान्वित किया जा रहा है। अतः उनकी सक्रिय सहभागिता से गुणात्मक शिक्षा का लक्ष्य सरलता से हांसिल किया जा सकता है।



तृतीय सत्र

बाल संसद का गठन

समय : 11.15 से 1.00

उद्देश्य

- :- * विद्यालयी गतिविधियों में गुणात्मकता लाने के लिए।
- * विद्यालयी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिए। छात्र/छात्राओं का सहयोग लेने के लिए।
- * छात्र/छात्राओं में प्रारम्भिक स्तर से ही 'दायित्व निर्वहन' एवं स्वयं 'करके सीखने' की क्षमता का विकास करने के लिए।
- * छात्र/छात्राओं में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिये।

चर्चा का बिन्दु :-

बाल संसद का गठन एवं प्रशिक्षण।


क्रियाविधि-1. :-

सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से प्रश्न करें कि विद्यालय व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिये छात्र/छात्राओं का सहयोग किस प्रकार व कहाँ-कहाँ लिया जा सकता है ? सम्भागियों से प्राप्त विचारों को श्यामपट्ट/कार्डशीट पर अंकित किया जाय। सम्भागियों के विचारों को जानने के पश्चात् सन्दर्भ व्यक्ति स्पष्ट करें कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता, कार्यक्रम के सहभागियों तथा लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग व सहभागिता पर निर्भर करती है। अतः शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के लिये आवश्यक है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन में छात्र/छात्राओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाय। इसके लिये आवश्यक है कि विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग प्राप्त करने के लिये उपयुक्त छात्र/छात्राओं का चयन किया जाय।

क्रियाविधि-2. :-

सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से पूछें कि स्वच्छता स्काऊट्स का चयन करते समय किन-किन तथ्यों का ध्यान रखा जाना चाहिये। सम्भागियों से प्राप्त विचारों को श्याम पट्ट/कार्डशीट पर अंकित करें।

चयनित छात्र/छात्राओं की विद्यालय गतिविधियों के संचालन में सक्रिय भागीदारी के लिये यह आवश्यक है कि उनका उचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन किया जाय। सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों को बताएँ कि शाला जल स्वच्छता एवं



स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत चयनित स्वच्छता स्काऊट्स के दो दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान है तथा प्रत्येक विद्यालय के स्वच्छता स्काऊट्स का यह प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा सी.आर.सी.एफ. द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस हेतु दो दिवसीय स्वच्छता स्काऊट का प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाएगा।


क्रियाविधि-3. :-

सन्दर्भ व्यक्ति सम्भागियों से प्रश्न करें कि शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के विद्यालयों में सफल क्रियान्वयन हेतु चयनित स्वच्छता स्काऊट्स के दल को प्रशिक्षित करने हेतु किन-किन तथ्यों व प्रक्रियाओं की जानकारी दी जानी चाहिये। सम्भागियों से प्राप्त विचारों को सन्दर्भ व्यक्ति कार्डशीट/श्यामपट्ट पर अंकित करें। तदुपरान्त उन्हें 'दो दिवसीय स्वच्छता स्काऊट प्रशिक्षण मॉड्यूल अध्ययन करने को कहें।

अध्ययन करने हेतु सम्भागियों को मॉड्यूल उपलब्ध कराएं तथा उसके अध्ययन हेतु सम्भागियों को चार समूहों में विभक्त करें। प्रथम व द्वितीय समूह को प्रथम दिवस तथा तृतीय व चतुर्थ समूह को द्वितीय दिवस के सत्रों का अध्ययन कर समूह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहें।'

अध्ययन करते समय निम्नांकित तथ्यों की ओर विशेष ध्यान देने को निर्देशित करें:-

- सम्भागियों द्वारा बताए गए मुद्दों का इसमें समावेश किया गया है या नहीं। यदि किया गया है तो किन-किन तथ्यों का समावेश किया गया है व किनका नहीं।
- ऐसे कौनसे विषय हैं, जो मॉड्यूल में दिए गए हैं किन्तु सम्भागियों द्वारा नहीं बताए गए थे। उनकी कार्यक्रम के साथ क्या प्रासंगिकता है ?
- मॉड्यूल में दी गई प्रशिक्षण प्रक्रिया की व्यावहारिकता की स्थिति। क्या मॉड्यूल में निर्दिष्ट प्रक्रिया से विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा सकना सम्भव है या नहीं ? यदि नहीं तो क्या सुधार अपेक्षित है ?



(iv) मॉड्यूल के परिशिष्ट में दी गई सामग्री प्रशिक्षण के सन्दर्भ में पर्याप्त है या इसमें कुछ ओर सामग्री दी जाने की आवश्यकता है यदि हाँ तो क्या ?

- * समूहवार अध्ययन व रिपोर्ट तैयार करने हेतु 30 मिनट का समय दें, तदुपरान्त प्रत्येक समूह को समूह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 10 मिनट का समय दें।
- * सम्भागियों से प्राप्त सुझावों को सन्दर्भ व्यक्ति नोट करें व अपने प्रशिक्षण प्रतिवेदन में उनका समावेश आवश्यक रूप से करें।


समूह चर्चा में उभरे प्रश्नों के सन्दर्भ व्यक्ति अलग कॉर्डशीट पर अंकित करें तथा समूह प्रस्तुति के उपरान्त उन प्रश्नों का विश्लेषण करें। इस क्रियाविधि का प्रमुख उद्देश्य मॉड्यूल के विभिन्न प्रकरणों के प्रतिसम्भागियों की सांझा समझ विकसित करना है।

समूह चर्चा व प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति स्पष्ट करें कि शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलता स्वच्छता स्काउट्स के उचित चयन, प्रशिक्षण व दायित्व निर्वहन पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक पूर्ण गम्भीरता से चयन व प्रशिक्षण आयोजित करें।

निष्कर्ष

:-

सम्भागी स्वच्छता स्काउट के प्रशिक्षण की आवश्यकता व प्रक्रिया को जान गए हैं तथा अपने विद्यालय में, स्वच्छता स्काउट के चयन व प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक सम्पादित करवाने में सक्षम हो गए हैं।



चतुर्थ सत्र

प्रकरण SDMC का गठन एवं दायित्व

समय : 2.00 से 3.00

- उद्देश्य** :- 1. SDMC के सदस्यों के चयन व मनोनयन की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना ।
2. SDMC के शाला विकास एवं प्रबन्धन के सन्दर्भ में कर्तव्यों की जानकारी देना ।
3. SDMC की विभिन्न समितियों व उनके दायित्वों की जानकारी प्रदान करना ।

चर्चा के बिन्दु :- SDMC की गठन प्रक्रिया एवं दायित्व ।

क्रियाविधि-1 :- सन्दर्भ व्यक्ति SDMC के गठन के विषय में पहले सम्भागियों से जानकारी प्राप्त करें कि (i) SDMC के गठन की आवश्यकता क्यों है ? तदनु रूप उसका गठन कैसे किया जाना चाहिए (ii) इसमें किन-किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा (iii) इसके प्रमुख दायित्व क्या-क्या होने चाहिए ।

तीनों मुद्दों पर सम्भागियों से प्राप्त विचारों को श्यामपट्ट/कार्डशीट पर अंकित कर सन्दर्भ व्यक्ति विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति की हस्तप्रति सम्भागियों को अध्ययन हेतु दें ।


* हस्तप्रति के अध्ययन हेतु सम्भागियों को चार समूहों में विभक्त करें, समूह चर्चा हेतु 20 मिनट का समय दें, तदुपरान्त प्रत्येक समूह को दिए गए बिन्दु पर 5 मिनट प्रस्तुतिकरण हेतु दें । समूहों में निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की जाय :-

- * प्रथम समूह :- SDMC के विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में अधिकार व कर्तव्य ।
- * द्वितीय समूह :- SDMC के सामुदायिक दायित्व ।
- * तृतीय समूह :- भवन निर्माण सम्बन्धी तीनों समितियों के दायित्व ।
- * चतुर्थ समूह :- शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन में SDMC के दायित्व । (हस्तप्रति देखें)

चारों समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सन्दर्भ व्यक्ति स्पष्ट करें कि SDMC के सक्रिय सहयोग से ही गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । अतः विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में SDMC सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना सभी सम्भागियों का दायित्व है ।

निष्कर्ष :- सम्भागी एस.डी.एम.सी. के गठन की प्रक्रिया एवं दायित्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं । अब वे तदनु रूप अपने दायित्व निर्वहन के लिये तैयार हैं ।

हस्तप्रति



मलजनित संक्रमण के माध्यम व मल जनित रोग


1


खुले में शौच करने से निम्नांकित माध्यमों में मानव मल हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तथा हमें बीमार करता है:-

- (i) मक्खी :- खुले में त्यागे गए मल पर मक्खियाँ बैठती हैं तथा ये मक्खियाँ जब हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठती हैं तो मल में स्थिति विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट सिस्ट व उनके अण्डों को उनके पैरों व पंखों के माध्यम से हमारे भोजन तक पहुँचा देती हैं। अन्ततः ये हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमें बीमार करते हैं।

(एक मक्खी सामान्यतः 5 किलोमीटर तक उड़कर जा सकती है)

- (ii) खुले जल स्रोत :- जल स्रोतों के आसपास खुले में मल त्यागने के उपरान्त अधिकांश व्यक्ति नदी, तालाब, नहर आदि जल स्रोतों में मल साफ कर लेते हैं। इससे मल में व्याप्त वायरस, बैक्टीरिया आदि जल में घुलकर सम्पूर्ण जल स्रोत को प्रदूषित कर देते हैं। सामान्यतः बहते जल स्रोत में एक व्यक्ति के मल धोने से 15-20 किलोमीटर तक का जल प्रदूषित हो सकता है। अतः सैकड़ों की संख्या में नित्य इनमें मल धोने की क्या विभिषिका हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।





(iii) खेत

:- खेतों में लगी फसल, फल, सब्जियों आदि की उपस्थिति में यदि मल त्याग किया जाता है, तथा खाने से पूर्व अच्छी तरह इन्हें साफ नहीं किया जाता है तो मल में व्याप्त वायरस, बैक्टीरिया आदि खाने वाले के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे बीमार कर सकते हैं।

(iv) हाथ

:- मल साफ करने के उपरान्त यदि साबुन या ताजी राख से अच्छी तरह हाथों को साफ नहीं किया जाता है तो हाथों (अंगुलियों/नाखूनों) में लगा मल हमारे शरीर में प्रविष्ट हो सकता है।

कुछ व्यक्ति मिट्टी से भी हाथ धोते हैं। खुले स्थानों से ली गई मिट्टी भी प्रदूषित हो सकती है। अतः मिट्टी से हाथ धोने से भी वायरस, बैक्टीरिया आदि शरीर में प्रविष्ट होकर हमें बीमार कर सकते हैं। अतः मिट्टी से कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिये।

(v) नंगे पैर या गन्दी चप्पल/जूतों के इस्तेमाल से

:- मानव मल में अनेक प्रकार के परजीवी कृमि व उनके अण्डे भी होते हैं। आमतौर पर मानव मल में तीन प्रकार के परजीवी कृमि देखे जाते हैं- गोल कृमि, हुक कृमि और फीता कृमि। नंगे पैर या टूटी चप्पल, जूते पहनने से मल के सम्पर्क में पैर आने पर इनमें मौजूद हुक कृमि पैरों की विवाइयों, नाखूनों के पास की कच्ची चमड़ी व अंगुलियों के बीच से हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तदुपरान्त हमारे शरीर में वृद्धि कर हमें बीमार करते हैं।


इस प्रकार खुले में किया गया मल त्याग विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर में पुनः पहुँचकर हमें बीमार कर सकता है। सभी व्यक्तियों के मल में कीटाणु होते हैं वे सभी हानिकारक नहीं होते, लेकिन बीमार व्यक्ति के मल में स्थित कीटाणु दूसरों के शरीर में पहुँच कर उन्हें बीमार कर सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति के 1 ग्राम मल में-

1,00,00,000 (1 करोड़) वायरस

10,00,000 (दस लाख) बैक्टीरिया

1000 (एक हजार) परजीवी कृमि कोष तथा

100 (सौ) परजीवी अण्डे हो सकते हैं।



सामान्यतः सभी लोगों व विशेषतः बच्चों की आँतों में कृमि या उनके अण्डे पाए जाते हैं। प्रारम्भ में इनकी संख्या कम होने पर बच्चे बीमार दिखाई नहीं देते किन्तु इनकी संख्या में वृद्धि होने पर उनका संक्रमण बढ़ता जाता है। इससे बच्चों में दस्त, भूखा रहना या भूख न लगना, वचन में कमी, खुजली, बैचेनी होना, चिड़चिड़ापन तथा पेट फूलना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनसे बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति कम होने लगती है जो अन्ततः उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

कृमि संक्रमण को, बेहतर साफ-सफाई, शारीरिक, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल के उपयोग से, सरलता से रोका जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि खुले में मल त्याग करने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने की सम्भावना सदैव बनी रहती है, अतः खुले में मल त्याग की आदत को बदलने की आवश्यकता है।


खुले में मल त्याग करने से होने वाली बीमारियाँ

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| 1. दस्त रोग | 2. डायरिया | 3. हैजा |
| 4. पोलियो | 5. कृमि संक्रमण | 6. फाइलेरिया |
| 7. कोलेरा आदि | | |

बीमारियों से बचाव के उपाय :-

मल जनित बीमारियों से बचने के लिये निम्नांकित उपाय किए जाने चाहिए :-

- * खुले में शौच के स्थान पर जलबन्ध शौचालय का प्रयोग।
- * शौच के बाद साबुन या ताजी राख से हाथ धोना।
- * सब्जी व फलों को काटने से पूर्व अच्छी तरह पानी से धोना।
- * भोजन बनाने व करने से पूर्व हाथों को साबुन या ताजी राख से धोना।
- * खाद्य पदार्थों को सदैव ढक कर रखना।
- * खुले खाद्य पदार्थ जिन पर मक्खी, मच्छर व अन्य कीड़े-मकौड़े बैठते हैं का सेवन न करना आदि।




डायरियाजनित निर्जलीकरण से बचाव हेतु घरेलू उपचार :-

जब कोई व्यक्ति दस्त से ग्रस्त हो तो उन्हें निर्जलीकरण बचाने हेतु तुरन्त निम्नांकित घरेलू उपचार प्रारम्भ कर देना चाहिए :-

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. दाल का पानी | 2. पतली चाय |
| 3. माड़ | 4. स्वच्छ पानी |
| 5. दही का शतब | 6. साग का पानी |
| 7. नारियल का पानी | 8. गीला भात |
| 9. खिचड़ी | 10. आलु का चोखा |
| 11. पकाकेला | 12. नींबू पानी |

डायरिया के मरीजों को तरल पदार्थ के साथ-साथ गीला पौष्टिक भोजन भी देते रहना चाहिए। रोगी के ठीक हो जाने के बाद एक सप्ताह तक उसे अतिरिक्त आहार देना चाहिए ताकि शरीर की क्षतिपूर्ति हो सके।


विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया के 100 रोगियों में से 90 रोगी को घरेलू उपचार से ठीक किया जा सकता है, 9 रोगी को ओ.आर.एस. की आवश्यकता होती है और 1 रोगी को अस्पताल जाना पड़ता है।




जल व मलजनित बीमारियाँ

2

- * भारत में 0-5 वर्ष की उम्र के बच्चों में होने वाली 80% संक्रामक बीमारियाँ जल व मलजनित हैं। 28% मौते केवल दस्त रोग से हो जाती हैं।




- * बच्चों को वर्ष में 2-3 बार दस्त रोग होना सामान्य बात है। एक बार दस्त हो गए तो 5-6 दिन तक खाना खाया-पिया अंग नहीं लगता, जिस पर माताएं दस्त रोग होने पर खाना भी कम देती हैं।
- * टायफाइड एक माह तक रोगी को आहार से वंचित कर देता है।
- * पेट के कीड़ों के कारण पेट में दर्द के कारण बच्चे कम आहार लेते हैं। इनके दुष्परिणाम स्वरूप उच्च बाल मृत्यु दर (95 प्रति 1000 बच्चे प्रति वर्ष) के अतिरिक्त बच्चों में कुपोषण हो जाता है। उनकी वृद्धि व वजन अपेक्षा से कम रह जाती है। अध्ययन में यह देखा गया है कि शहरों के बच्चों से ग्राम के बच्चे



(स्कूल जाने वाले) 4 से.मी. छोटे रह जाते हैं। भारत में जन्म के समय एक तिहाई बच्चे कुपोषित होते हैं (जन्म के समय 2.5 कि.ग्राम से कम) पर स्कूल छोड़ते समय दो तिहाई बच्चे कुपोषित पाये जाते हैं। जिसका कारण उनका बार-बार बीमार होना व पौष्टिक आहार न ले पाना है।

शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के चिकित्सा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 10-12% बच्चे सामान्य बीमार पाये गये व 3% बच्चे जटिल रोग ग्रस्त पाये गये।

पेट के कीड़ों का इलाज कराने पर बच्चे कुछ समय के लिये रोग रहित होकर पढ़ने में अक्ल आने लगते हैं पर स्वच्छता इकाइयों के उपयोग के अभाव में पुनः बीमार हो जाते हैं।



शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम

3

सन्दर्भ व्यक्ति सभी संभागियों को SWSHE कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार प्रदान करें :-


1. प्रस्तावना

1986 में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 1998 तक कार्यक्रम की मन्द गति के कारण पुनः समीक्षा की गई तदुपरान्त 1999 में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित कर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है।

1999 से ही देश के कुछ चयनित जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों के आधार पर ही राजस्थान में 2004 से इस कार्यक्रम को सभी 32 जिलों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम को राज्य में क्रियान्वित करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिला स्तर पर अति. जिला परियोजना समन्वयक एस.एस.ए./डी.पी.ई.पी. को विद्यालयों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रदान की गयी है। अति. जिला परियोजना समन्वयक को कार्यक्रम क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिये टी.एस.सी. फण्ड से प्रत्येक जिले में एक जिला समन्वयक की नियुक्ति डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा की जाने का प्रावधान एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किया गया है।

2. कार्यक्रम परिचय : इस कार्यक्रम को विद्यालयों में लागू करने के निम्नांकित उद्देश्य हैं :-

- (i) सभी ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में संख्यानुरूप बालक व बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण करना।
- (ii) विद्यालयों में पेयजल सुविधा प्रदान करना।
- (iii) बाल्यावस्था से ही स्वास्थ्य व स्वच्छता की आदतों का विकास करना।
- (iv) विद्यालयों में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण प्रदान कर बच्चों की सीखने-समझने की क्षमता का विकास करना।
- (v) बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।
- (vi) बालक-बालिकाओं को विद्यालयी व्यवस्था संचालन, जैसे शौचालय/मूत्रालय की साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था करने, विद्यालय परिसर को स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनाने आदि में भागीदार बनाना।
- (vii) शिक्षकों के माध्यम से बच्चों में व बच्चों के माध्यम से अभिभावकों व समुदाय तक स्वच्छता के संदेश को पहुँचाकर स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण विकसित करना।
- (viii) विद्यालयों में बालमित्र सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।



3. स्वच्छता अभियान एवं शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम :-

नए विचारों और संकल्पनाओं को समझने तथा उन्हें जनप्रिय बनाने में बच्चे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिये इस अभियान में उनकी क्षमताओं का उपयोग विद्यालयों तथा घरों में स्वच्छता की आदतों के विकास में किया जाना अपेक्षित है। साथ ही घरेलू शौचालय निर्माण की मांग सृजन में भी इनकी प्रमुख भूमिका होगी। अतः अभियान को सफल बनाने के लिये सरकारी ग्रामीण विद्यालयों को प्रमुख आधार बनाया गया है।

इस कार्यक्रम में विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, क्योंकि-


- परिवार के बाद विद्यालय ही वह प्रमुख स्थान है, जहाँ बच्चों का बौद्धिक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक विकास होता है।
- विद्यालय, बच्चों में सामाजीकरण की प्रवृत्ति विकास के प्रधान केन्द्र है।
- स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक परिवेश में प्रदान की गई शिक्षा ज्यादा प्रभावी एवं उपयोगी होती है।
- यदि विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल व शौचालय/मूत्रालय तथा स्वच्छ परिवेश उपलब्ध नहीं है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।
- यदि बच्चों में स्वच्छता व स्वास्थ्य की जानकारीयों का व्यावहारिक उपयोग करने की क्षमता व आदतों का विकास नहीं होता है तो शिक्षा अपूर्ण व अप्रभावी है।
- अस्वच्छ व अस्वास्थ्यकर विद्यालय परिवेश बच्चों (विशेषतः बालिकाओं की) सीखने-समझने की क्षमता तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जो अनुपस्थिति, कम नामांकन व पलायन का कारण है।

अतः विद्यालयों को स्वास्थ्यवर्धक परिवेश प्रदान कर बच्चों को सीखने-समझने की क्षमता का विकास करने तथा विद्यालयों को आनन्द का केन्द्र बनाने के लिये इस कार्यक्रम में प्रमुखता प्रदान की गयी है।

4. वर्तमान विद्यालयों की स्थिति

जिन विद्यालयों में जल व शौचालय सुविधाएं उपलब्ध है उनमें भी सामान्यतः निम्न स्थितियां दृष्टिगत होती हैं :-

- अपर्याप्त जल उपलब्धता के कारण हाथ धोने की कम सुविधा या सुविधा का अभाव।
- शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण बच्चों (विशेषतः बालिकाओं) के अनुरूप नहीं है।
- सुविधाएँ टूटी हुई हैं तथा उनकी उचित साफ-सफाई हेतु नियमित व पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है।
- बच्चों में स्वच्छता व सफाई की आदतें नहीं हैं।
- बच्चों को दी जाने वाली स्वच्छता सम्बन्धी शिक्षा अस्थायी व अप्रासंगिक है।
- सामान्यतः कक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर गन्दे रहते हैं।
- उपलब्ध सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग व देखभाल नहीं होती है।




विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं शौचालय/मूत्रालय सुविधाओं की नियमित साफ-सफाई की सुदृढ़ व स्वप्रेरित व्यवस्था कायम करना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब सभी बच्चों, शिक्षकों व स्थानीय समुदायों में स्वच्छता के उचित दृष्टिकोण का विकास किया जाए, तभी हमारे विद्यालयों का पर्यावरण स्वच्छ व स्वास्थ्यवर्धक बनेगा और ये बच्चे सामुदायिक 'परिवर्तनकर्ता' सिद्ध हो सकेंगे।

| एक नजर इन पर | अस्वच्छता का अभिशाप |
|--|--|
| * 1 से 4 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में होने वाली 10 गम्भीर बीमारियों में से पांच बीमारियां दूषित जल व अस्वच्छता के कारण होती हैं। | * पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की उच्च मृत्यु दर (95 प्रति हजार) |
| * लगभग प्रतिदिन भारत में 2000 व एक वर्ष में लगभग 6 से 7 लाख बच्चे डायरिया के कारण मरते हैं। | * 6 से 14 आयु वर्ग के 10 में से मात्र 7 बच्चों का ही प्राथमिक विद्यालय में नामांकन। |
| * ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कुल बीमार में से 20 प्रतिशत बच्चे प्रति वर्ष उल्टी, दस्त, आंत्रशोध पीलिया और मलेरिया के कारण काल का ग्रास बनते हैं। | * उच्च पलायन दर : बालिकाएं मात्र 42 प्रतिशत तथा बालक 48 प्रतिशत ही कक्षा 1 से 8 तक पहुँचते हैं अधिकांश अस्वस्थता व सीखने की मन्द गति के कारण विद्यालय छोड़ देते हैं। |

5. कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लाभ

इस कार्यक्रम को विद्यालयों में शिक्षकों व छात्र/छात्राओं के सहयोग से सफलतापूर्वक लागू करने पर प्रत्येक विद्यालय व समुदाय को निम्नांकित लाभ प्राप्त होंगे।

- वर्ष पर्यन्त सुरक्षित पेयजल।
- मानव मल के उचित निस्तारण की व्यवस्था। बालक-बालिकाओं हेतु प्रत्येक विद्यालय में पृथक-पृथक शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था।
- भोजन से पूर्व व शौच के बाद नियमित रूप से साबुन या ताजी राख से हाथ धोने की आदत।
- बालक/बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से (बिना जातिगत भेदभाव के) विद्यालय परिसर, कक्षा-कक्ष, शौचालय/मूत्रालय की नियमित साफ-सफाई में सहयोग प्रदान करना।
- पेयजल की व्यवस्था करने, पेयजल स्रोत व उसके आसपास की साफ-सफाई की व्यवस्था करने में छात्र/छात्राओं का सहयोग।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों (जीवन कौशलों) का कक्षा शिक्षण के माध्यम से विकास।
- शिक्षकों, छात्रों के माध्यम से समुदाय में स्वच्छता व स्वास्थ्यप्रद जानकारी का प्रचार-प्रसार।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास से बच्चों व समुदाय में डायरिया, आंत्रशोध, आँखों के संक्रमण, आँतों के कीड़े, मलेरिया तथा खाँसी-जुकाम जैसे रोगों के फैलाव में कमी आएगी।



(ix) बालिकाओं की आवश्यकतानुरूप शौचालय/मूत्रालय की उपलब्धता से विद्यालय में उनके नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि होगी। इससे अन्ततः उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में भी वृद्धि होगी।

6. कार्यक्रम की सफलता हेतु सहयोग

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये निम्नांकित का सक्रिय सहयोग अपेक्षित हैं :-

- (i) प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक का।
- (ii) छात्र/छात्राएँ का, (स्वच्छता स्काउट दल, बाल संसद एवं विद्यालय के समस्त छात्र/छात्राएँ)
- (iii) छात्र/छात्राओं के माता-पिता एवं अभिभावकों का।
- (iv) विभिन्न सामुदायिक समूहों यथा ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति, शिक्षक-अभिभावक समिति आदि।
- (v) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक वर्गों का।
- (vi) पंचायत राज संस्थाओं का।
- (vii) प्रशासन का।

7. सफल क्रियान्वयन हेतु गतिविधियाँ



विद्यालयों में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये निम्नांकित दो तरह की गतिविधियाँ संचालित की जानी अपेक्षित है :-

हार्डवेयर गतिविधियाँ

- * सुरक्षित पेयजल हेतु नल का पानी (पी.एच.ई.डी. द्वारा प्रदत्त), हैण्डपम्प, वर्षा जल संग्रहण, टांका।
- * बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था।
- * गन्दे पानी के निस्तारण हेतु सोखा गड्ढा या फल/पौधों की क्यारियों तथा पानी सोखने हेतु नालियाँ।
- * सूखा कचरा निस्तारण हेतु कचरा गड्ढा।
- * भोजन से पूर्व तथा शौचालय/मूत्रालय उपयोग पश्चात् साबुन/राख से हाथ धोने की पृथक व्यवस्था।

सॉफ्टवेयर गतिविधियाँ

- * प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक
- * स्वच्छता स्काउट दलों का चयन एवं प्रशिक्षण (प्रधानाध्यापक/शिक्षकों द्वारा)।
- * स्वच्छता स्काउट दल के सदस्यों एवं अन्य सभी छात्र/छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर, कक्षा-कक्ष, शौचालय, मूत्रालय तथा पेयजल की नियमित साफ-सफाई में सक्रिय सहयोग।
- * प्रधानाध्यापक/शिक्षकों द्वारा प्रार्थना सभा में नियमित रूप से स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों की जानकारी देना व तदनु रूप छात्र/छात्राओं के व्यवहार की जाँच करना।
- * कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना तथा छात्र/छात्राओं में तदनु रूप उसके उपयोग पर विशेष ध्यान देना।
- * स्वच्छता एवं स्वास्थ्यप्रद आदतों की जानकारी शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं द्वारा अपने परिवारजनों व समुदाय में पहुँचना।




- * विद्यालय परिसर, कक्षा-कक्ष एवं शौचालय/मूत्रालय की साफ-सफाई हेतु वांछित उपकरण व सामग्री की व्यवस्था (विद्यालय प्रशासन/एस.डी.एम.सी. द्वारा)।
- * वृक्षारोपण करना। सम्भव हो तो प्रत्येक कक्षा की अलग-अलग बाल वाटिका बनाना व उनकी देखभाल करना।

- * समुदाय में जागरूकता लाने हेतु स्वच्छता के सन्देश के साथ छात्र/छात्राओं व शिक्षकों द्वारा गाँव में रैलियाँ निकालना तथा सामुदायिक स्थलों की स्वच्छता हेतु श्रमदान करना।
- * स्वच्छता स्काउट दल के प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा नियमित रूप से छात्र/छात्राओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों (दलों के) का निर्धारण एवं पर्यवेक्षण करना।
- * स्वच्छता प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

8. विद्यालय एवं सामुदायिक प्रोत्साहन

विद्यालयों में इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से बच्चों के परिवारों एवं समुदाय में भी स्वच्छता की आदतों का विकास होगा। परिवारों व समुदाय में स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिये विद्यालयों द्वारा निम्नांकित गतिविधियाँ की जा सकती हैं :-

1. छात्र/छात्राओं द्वारा गाँव में स्वच्छता रैलियों का आयोजन।
2. गाँव में स्वच्छता सन्देशों का लेखन।
3. SDMC, PTA, MTA, PRI सदस्यों का समय-समय पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा आमुखीकरण।
4. शिक्षकों व छात्र-छात्राओं द्वारा ग्राम सर्वेक्षण कर ग्रामीण स्वच्छता हेतु ग्रामवासियों के सहयोग से कार्य योजना का निर्माण व क्रियान्वयन (सूक्ष्म नियोजन द्वारा)
5. सामुदायिक स्वच्छता हेतु शिक्षकों, छात्र/छात्राओं द्वारा ग्रामवासियों के साथ श्रमदान कर सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता रखना।
6. छात्र-छात्राओं द्वारा परिवारजनों व अपने पड़ोसियों को घरों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण व नियमित उपयोग हेतु प्रेरित करना।
7. खुले में शौच करने के स्थानों पर स्थित झाड़ियों को काटकर साफ करना ताकि आमजन उनके पीछे छिपकर शौच न कर सकें।
8. खुले में शौच करने से फैलने वाली बीमारियों के विषय में परिवार, पड़ोसियों व समुदाय के लोगों को समझाकर उनसे बचने के लिये घरों में शौचालय निर्माण व उसके उपयोग तथा रखरखाव हेतु जागरूक करना।
9. विद्यालय में बेकार पानी का बगीचे में उपयोग तथा सोखता गड्ढा निर्माण कर छात्र-छात्राओं के माध्यम से उनके घरों व पड़ोसियों के घरों में सोखता गड्ढों का निर्माण करने की तकनीक जानकारी प्रदान करना तथा उनका निर्माण करवाना।
10. छात्र-छात्राओं द्वारा स्वयं स्वस्थ रहकर व अपने घरों को साफ रखकर अपने पड़ोसियों को भी साफ रहने व घरों व आसपास के इलाके को साफ रखने हेतु प्रेरित करना।



वर्षा जल संग्रहण (R.W.H.S.) एवं पुनर्भरण

4


वर्षा जल संग्रहण एवं पुनर्भरण :-


हमारे राज्य के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ भूमिगत जल काफी कम है, जिससे वर्ष पर्यन्त हमारी पेयजल आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। साथ ही अनेक क्षेत्रों में भूमिगत जल में रासायनिक पदार्थों यथा फ्लोराइड/नाइट्रेट आयरन आदि) के घुले होने के कारण भी भूमिगत जल का उपयोग, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे क्षेत्रों में यदि वर्षा जल को हमारी आवश्यकतानुसार टांके बनाकर संग्रहित कर लिया जाय तो उससे वर्षभर की पेयजल आपूर्ति सम्भव है। वर्षा जल संग्रहण हेतु घरों व विद्यालयों में टाँकों का निर्माण किया जा सकता है।

1. वर्षा जल संग्रहण संरचना (टांका) निर्माण के घटक :


वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर जो घटक शामिल हैं, वह हैं-

- वर्षा जल का पाइप अथवा नालियों द्वारा परिवहन
- छनन तथा
- टैंक में उपयोग हेतु अथवा भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए संग्रहण





1. जलसंग्रहण क्षेत्र- वर्षा जल संग्रहण का जलग्रहण क्षेत्र वह है जहाँ की सतह पर सीधी बरसात होती है तथा संग्रहण व्यवस्था हेतु जल उपयोग में आता है। यह किसी भवन का खरंजे वाला क्षेत्र हो सकता है। जैसे-खुली छत, छज्जा या आंगन लॉन या खुले मैदान का उभरा हुआ क्षेत्र। आर.सी.सी. शीटों की छतों का उपयोग भी वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जा सकता है।
2. मोटी जाली-छत पर इसका उपयोग कचरे को रोकने के लिए किया जाता है।
3. परनाले-ये छत के चारो ओर ढलान के किनारे लगा दिये जाते हैं जिनका उपयोग भण्डार टैंक तक पानी ले जाने के लिए किया जाता है। ये परनाले अर्धवृत्ताकार अथवा आयताकार हो सकते हैं तथा इन्हें निम्न सामग्री से बनाया जा सकता है-
स्थानीय रूप से उपलब्ध समतल गैलेनाइज्ड आयरन शीट (20 ये 22 गेज) जिसे आवश्यकतानुसार मोड़ा जा सके।
पी.वी.सी. पाइपों को बराबर चीरकर अर्धवृत्ताकार परनाले बनाये जा सकते हैं।
बाँस अथवा पान के तनों को ऊर्ध्वी रूप से बराबर आधा आधा कट कर।
परनाले का साइज अधिकतम तीव्रता से होने वाली बरसात के अनुसार होना चाहिए। परनाले का साइज आवश्यकता से 10 से 15 प्रतिशत अधिक रखा जाना उचित रहेगा।
पर नालों को सहारा देने की जरूरत है ताकि जब उनमें पानी भरे तो वे झुककर गिर नहीं जावें।
परनालों को फिक्स करने का तरीका भवन निर्माण पर निर्भर करता है, दीवारों में छेद अथवा लकड़ी के ब्रेकेटस लगाये जा सकते हैं किन्तु ऐसे भवनों में जहां छज्जों की चौड़ाई अधिक है वहां पर किसी विधि से शहतीर लगाना आवश्यक है।
4. कण्ड्यूट- कण्ड्यूट वे पाइपलाईन अथवा नालियाँ हैं जिनसे पानी जल ग्रहण क्षेत्र से अथवा छत से संग्रहण क्षेत्र तक ले जाया जाता है। कण्ड्यूट किसी भी सामग्री के बने हो सकते हैं जैसे पी.वी.सी. अथवा गैल्वेनाइज्ड आयरन आदि जो कि आसानी से उपलब्ध हैं।
निम्नलिखित तालिका में बरसाती पानी को बहाने के लिये वर्षा की तीव्रता के आधार पर पाइप के अनुमानित व्यास का उल्लेख किया गया है-
5. प्रथम प्रक्षालन- यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक वाल्व होता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रथम बरसात का पानी संग्रहण व्यवस्था में प्रवेश नहीं करे तथा बह जायें। ऐसा करने की



आवश्यकता इसलिये पड़ती है क्योंकि पहली बरसात के पानी में हवा तथा जल ग्रहण क्षेत्र से मिले प्रदूषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है।

6. छनित्र (फिल्टर)- छनित्र का उपयोग छत के ऊपर संग्रहित पानी से प्रदूषक तत्वों को छानने के लिए किया जाता है। छनित्र इकाई में एक प्रकोष्ठ होता है जिसमें छानने वाली सामग्री जैसे मौटी बालू तथा पानी के व्यवस्था में प्रवेश करने से पूर्व जल संग्रहण मिट्टी व कचरा हटाने के लिए बजरी अधिक छानने के लिये चारकोल की परत भी डाली जा सकती है।



1. चारकोल छनित्र- साधारण चारकोल फिल्टर एक ड्रम अथवा मिट्टी के बर्तन में बनाया जा सकता है। छनित्र में बजरी, बालू तथा चारकोल का उपयोग किया जाता है, जो सभी आसानी से उपलब्ध होते हैं।

2. बालू के छनित्र- इनमें छानने के माध्यम के रूप में बालू का उपयोग होता है। बालू के छनित्र बनाने में आसान व सस्ते हैं। इन छनित्रों का उपयोग पानी का गदलापन, रंग एवं सूक्ष्म जीवाणुओं को हटाने के लिए आसानी से किया जा सकता है।


भण्डारण सुविधा- आकृति, आकार तथा निर्माण सामग्री की उपलब्धता के आधार पर टैंकों के निर्माण हेतु विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं।

आकृति- बेलनाकार, आयताकार तथा वर्गाकार

निर्माण सामग्री- आर.सी.सी. फ़ैरो सीमेन्ट, चिनाई, प्लास्टिक (पॉलिथिन) अथवा धातु (गैल्वोनाइज्ड आयरन) शीट आदि का सामान्यतया उपयोग किया जाता है।



चारकोल छनित्र



टैंक की अवस्थिति- स्थान की उपलब्धता के आधार पर टैंक जमीन के ऊपर, आधा ऊपर तथा आधा जमीन के अन्दर अथवा पूर्णतया जमीन के अंदर बनाये जा सकते हैं। टैंक में रखे गये पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव के कुछ उपाय जैसे टैंक की सफाई, जीवाणु नाशक आदि का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

2. टाँके के पानी का रखरखाव :- टाँके का जल प्रदूषित न हो इसके लिये निम्नांकित सावधानियाँ रखी जानी चाहिए :-


1. टाँके का पानी निकालने के लिये उस पर हैण्डपम्प लगाया जाय। बाल्टी व रस्सी के माध्यम से पानी नहीं निकालें, अन्यथा बाल्टी व रस्सी में लगी गन्दगी से सारे टाँके का पानी प्रदूषित हो सकता है।
2. टाँके के पानी की नियमित जाँच की जाय तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसके पानी को क्लोरीनेट करके शुद्ध किया जाय।
3. वर्षा के पूर्व टाँके की तथा छत व फिल्टर यूनिट आदि की सफाई की जाय जिससे उसमें गन्दा पानी नहीं भरे।
4. टाँके के आसपास गन्दा पानी व गन्दगी एकत्र न होने दें।


वर्षा जल पुनर्भरण संरचना

जिन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त होती है तथा भूमिगत जल की गुणवत्ता भी अच्छी है वहां वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर को रीचार्ज करने के लिये उपयोग किया जाना चाहिये। इससे बहुमूल्य वर्षा जल को व्यर्थ होने से बचाया जा सकेगा तथा वर्ष पर्यन्त भूमिगत जल स्तर को ऊँचा बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। वर्षा जल पुनर्भरण हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जा सकती है :-

पुनर्भरण संरचनाएं :-

वर्षा जल का भूमिगत जल के एक्वीफर में पुनर्भरण किसी उपयुक्त पुनर्भरण ढाँचे के माध्यम से किया जा सकता है जैसे बोरवेल, पुनर्भरण खन्दक तथा पुनर्भरण गड्ढे।






विभिन्न प्रवाह की पुनर्भरण संरचनाये सम्भव हैं। इनमें से कुछ जमीन की परत के माध्यम से कम गहराई तक पानी के रिसाव को बढ़ाती हैं। उदाहरण कि लिए पुनर्भरण खन्दक, पारगम्य खरंजे आदि तथा अन्य संरचनायें जल को अधिक गहराई तक ले जाती हैं जहां वह भूमिगत जल में मिल जाता है। उदाहरणार्थ वर्तमान संरचनाओं यथा कूप, गढ़दें टांकों को पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे नई पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली कुछ पुनर्भरण की विधियाँ यहाँ दी गई:

1. खुदें हुए कूपों तथा ट्यूबवैलों के माध्यम से -


एल्युवियल प्रदेश तथा कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में हजारों ऐसे कुएं हैं जो या तो सूख गये हैं अथवा इनमें पानी बहुत कम हो गया है।

इनका उपयोग पुनर्भरण हेतु छत से बहने वाले बरसाती पानी से किया जा सकता है। छत से एकत्र किये वर्षा जल को पाइपों के जरिये निथार टंकी में ले जाया जाता है तथा



वहाँ से यह पानी पुनर्भरण कूप में चला जाता है (बोरवेल अथवा खुदा हुआ कूप)। यदि ट्यूबवैल को पुनर्भरण हेतु उपयोग में लिया जाता है तो इसके बाहरी पाइप को झिरीदार अथवा छिद्रित बनाना जरूरी है ताकि पानी रिसने के लिये अधिक क्षेत्र मिल सके। बोरवेल को विकसित करने से इसकी पुनर्भरण क्षमता बढ़ जायेगी। विकसित करने की प्रक्रिया में कूप के अन्दर पानी या हवा अधिक दबाव से भेजी जाती है ताकि इसके चारों ओर की पृथ्वी की सतह ढीली हो जाय तथा पानी के रिसाव के लिये अधिक सुगम और पारगम्य हो जाये।

यदि खूदे हुए कूप का पुनर्भरण हेतु उपयोग किया जाता है तो इसकी दीवारों में नियमित दूरी पर छेद कर देने चाहिए ताकि चारों ओर से पानी जमीन में रिस सके।



कचरा और पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए तथा मच्छरों को रोकने के लिए खुदे हुए कूपों को ढक देना चाहिए। पुनर्भरण कूप की भराव क्षमता को बनाये रखने के लिए इसके तल से हर वर्ष गाद निकाल देनी चाहिए।

पुनर्भरण तंत्र में निम्न व्यवस्थाओं के जरिये कूपों में भरने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है:

1. छत की गन्दगी को रोकने के नालियों/नाली के मुहाने पर छानने वाली जाली लगाना
2. निथार टंकी
3. छानने की क्यारी


2. निथार टंकी

निथार टंकी का उपयोग गाद एवं अन्य तैरने वाली अशुद्धियों को हटाने के लिये किया जाता है। निथार टंकी एक साधारण टंकी के समान ही होती है किन्तु इसमें जलग्रहण क्षेत्र से पानी के प्रवेश तथा बाहर निकलने तथा पुनर्भरण कूप तक पानी ले जाने की व्यवस्था होती है। निथार टंकी का पैदा उभरा हुआ होता है ताकि इसमें भरा हुआ पानी जमीन से रिस सके। अधिक बरसात होने पर पुनर्भरण की गति, विशेष रूप से बोरवेल के पुनर्भरण की दर वर्षा की दर के अनुरूप नहीं होगी। ऐसी स्थिति में पानी की अधिक मात्रा गाद वाले चैम्बर में तब तक भरी रहती है जब तक कि पुनर्भरण कूप पानी को सोख नहीं लेता है। अतः निथार टंकी इस तंत्र में बफर का काम करती है।

कोई भी साधारण टंकी यथा जमीन के नीचे कंक्रीट से बनी हुई, ईटों से चिनी हुई, पीवीसी या फेरो सीमेन्ट से बनी अथवा पुरानी टंकिया जो उपयुक्त क्षमता की हों, निथार टंकी के रूप में उपयोग की जा सकती है।

3. सर्विस ट्यूबवेल का पुनर्भरण


इसके लिये बरसात के पानी को सीधे छत से सर्विस ट्यूबवेल में नहीं ले जाया जाता ताकि भूमिगत जल के दूषित होने की संभावना नहीं रहे। अपितु बरसाती जल को कूप में इकट्ठा किया जाता है जो कि सर्विस ट्यूबवेल के निकट ही होता है



तथा अस्थायी रूप से भण्डारण का काम करता है। इसमें एक बोरवेल होता है जो जल सतह की अपेक्षा उथला होता है। इस बोरवेल में एक केसिंग पाइप डाला जाता है ताकि यदि जमीन की पर्त ढीली है तो जमीन पोली नहीं हो जाय। कचरा आदि को रोकने के लिए छानने वाले प्रकोष्ठ में बालू, बजरी तथा कंकड़ों की परत लगाई जाती है।

4. पुनर्भरण गढ़दे

पुनर्भरण गढ़डा 1.5 से 3 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा होता है। गढ़दे की दीवार ईंट अथवा पत्थरों की बनाई जाती है तथा नियमित दूरी पर




इसमें छेद रखे जाते हैं। गढ़दों के ऊपरी भाग को छिद्रित

ढक्कन के द्वारा ढका जा सकता है। इसकी संरचना निधार टंकी के समान ही है।

5. सोख्ता अथवा रिसावी गढ़दे रिसावी गढ़दे वर्षा जल के संग्रहण का सरलतम एवं प्रभावी साधन है। ये प्रायः 60 से.मी. के गढ़दे होते हैं जिन्हें बरसात के पानी के अनुमान के आधार पर निधार टंकी की भांति ही बनाया जाता है। इन्हें ईंटों की जाली, छोटे पत्थर के टुकड़ों तथा बालू से भरा जाता है और जहाँ आवश्यक हो छिद्रित ढक्कन से ढक दिया जाता है।

6. पुनर्भरण खन्दक

पुनर्भरण खन्दक जमीन में खोदी हुई खन्दक होती है जिसे छिद्रित सामग्री यथा बजरी, कंकड़, ईंटों के टुकड़े आदि से भर दिया जाता है। यह खन्दक 0.5 से 1 मीटर चौड़ी तथा 1 से 1.5 मीटर गहरी हो सकती है। इसकी लम्बाई पानी की उपलब्ध मात्रा के अनुसार रखी जाती है। इसकी भरण क्षमता को बनाये रखने के लिये निरन्तर कचरा आदि निकाल कर सफाई करनी चाहिए। पुनर्भरण क्षमता के लिहाज से पुनर्भरण खन्दक अधिक प्रभावी नहीं है क्योंकि 1.5 मीटर गहराई पर जमीन की पर्त की पारगम्यता कम होती है। खन्दकों एवं खरंजे वाले दोनों ही क्षेत्रों का बरसाती पानी इसमें डाला जा सकता है।




7. पुनर्भरण गर्त

कच्चे अथवा पक्के प्रांगण से बहने वाले बरसात पानी को एकत्र करने के लिये पुनर्भरण गर्त सामान्यतया आवासी अथवा संस्थानिक काम्पलेक्सों के प्रवेश द्वारों के निकट बनाये जाते हैं। ये पुनर्भरण खन्दकों के समान ही हैं केवल इनमें छनन सामग्री नहीं डाली जाती है। पुनर्भरण की गति बढ़ाने के लिये इन खन्दकों में नियमित दूरी पर छेद कर दिये जाते हैं। साइज की सीमा के कारण इस संरचना के माध्यम से केवल सीमित जल का पुनर्भरण ही किया जा सकता है

8. परिवर्तित अतः: क्षेपीकूप

इस विधि में जल को एक्वीफर में पम्प नहीं किया जाकर छनन क्यारी के माध्यम से रिसने दिया जाता है। छनन क्यारी में बजरी एवं बालू होती है। परिवर्तित अतः: क्षेपीकूप 500 मि.मी. व्यास का बोरवेल होता है। भूगर्भ की स्थितियों के आधार पर इच्छित गहराई तक खोदा जा सकता है। अधिमानतः पानी की सतह के नीचे तक 2 या 3 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इसमें 200 मि.मी. व्यास का एक झिरीदार केसिंग पाइप डाला जाता है। बोर होल तथा पाइप के बीच के वलयाकार स्थान को बजरी से भर दिया जाता है तथा कम्प्रेसर से इसे तब तक विकसित किया जाता है जब तक कि साफ पानी नहीं निकलने लगे। पानी में विद्यमान ठोस अशुद्धियों को लिये ऊपरी सतह पर छनन व्यवस्था की जाती है।



विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति

5


राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास समिति का गठन एवं दायित्व परिचय :

सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विकेन्द्रीकरण एवं जनसहभागिता को आधार बनाया गया है। विद्यालय एवं समुदाय के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं विद्यालय का विकास करने के लिये प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 2(2) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 दिनांक 29.5.2003 द्वारा एक रूप 'संघ विधान पत्र एवं नियमावली' के आधार पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का गठन करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा विद्यालय विकास प्रबन्धन समितियों के गठन हेतु जारी संघ विधान पत्र एवं नियमावली के अनुसार राज्य की प्रत्येक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का गठन किया जाना है। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समिति की एक साधारण सभा होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-

1. सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के पिता/माता/संरक्षक।
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक।
3. सम्बन्धित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख/प्रधान/सरपंच/नगरपालिका अध्यक्ष।
4. सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य/नगरपालिका पार्षद/पंचायत समिति सदस्य/वार्ड पंच।
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत तीन शिक्षाविद्/शिक्षा प्रशासक या सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी।
6. समिति की कार्यकारिणी में मनोनीत शेष सदस्य।

समिति की कार्यकारिणी का अध्यक्ष व सदस्य सचिव क्रमशः साधारण सभा के भी अध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे। सामान्यतया सारणसभा के सदस्यों द्वारा कोई शुल्क व चन्दा प्रारम्भ में देय नहीं होगा, परन्तु सदस्य यदि स्वेच्छा से चाहे तो चन्दा दे सकेंगे। साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से भी सदस्यों का वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकती है। साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता मृत्यु होने पर, त्याग पत्र दे पर, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित सदस्य नहीं रहने पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।



साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्था के परिचालन व्यय मद में आय-व्यय अंतर होने पर छात्रों से वसूल की जाने वाली फीस के प्रस्ताव का अनुमोदन।

संस्था के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार-विमर्श व निर्णय।

कार्यकारिणी समिति द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना।

नोट : साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्व सम्मति से व सर्व सम्मति से नहीं होने पर बहुमत से लिये जावेंगे।

साधारण सभा की बैठकें :-

साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम 50 प्रतिशत होगा।


बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात समान निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जायेगी। स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

समिति के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर सदस्य सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति

समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये समिति की एक कार्यकारिणी समिति का प्रावधान नियमों में किया गया है। विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी में निम्नानुसार 13 सदस्य होंगे:-



क्र. सं. विवरण

पद


1. प्रधानाध्यापक अध्यक्ष (1)
2. साधारण सभा द्वारा अभिभावकों में से मनोनीत 3 सदस्य
(कम से कम एक महिला व एक एस.सी./एस.टी.) सदस्य (3)
3. निर्वाचित पंचायती राज व्यवस्था/नगरपालिका व्यवस्था के सदस्यों में से
ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत 3 सदस्य, जिनमें से एक सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक द्वारा नामित होना आवश्यक है।
(कम से कम एक महिला व एक एस.सी./एस.टी.) सदस्य (3)
4. राज्य/सम्भाग/जिला स्तर पर सम्मानित सर्वाधिक राशि देने वाला भामाशाह जो
समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करता हो। सदस्य (1)
5. संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से मनोनीत एक सदस्य सदस्य (1)
6. 5वीं/8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिसने पूर्व परीक्षा में अधिकतम
अंक प्राप्त किये हों। सदस्य (1)
7. 2 सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्मिक
(प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक/लिपिक आदि) सदस्य (2)
8. अध्यापकों में से संस्था प्रधान द्वारा मनोनीत एक सदस्य सचिव सदस्य सचिव (1)

कुल

कुल 13 सदस्य अध्यक्ष

सहित

इस प्रकार समिति की कार्यकारिणी में कुल 13 सदस्यों का प्रावधान रखा गया है। समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये उपरोक्तानुसार गठित की जाने वाली कार्यकारिणी समिति में अभिभावकों में से 3 सदस्यों का मनोनयन साधारण सभा द्वारा इस प्रकार किया जाना है कि उनमें से कम से कम एक महिला व एक एस.सी./एस.टी. अभिभावक आवश्यक रूप से कार्यकारिणी समिति का सदस्य हो। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि गठित कार्यकारिणी समिति में शामिल अभिभावक सदस्यों में से कोई सदस्य उसके पुत्र/पुत्री द्वारा विद्यालय छोड़ देने अथवा अन्य कारणों से अभिभावक नहीं रह गया है तो उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य का मनोनयन साधारण सभा द्वारा करवाया जाना है। सामान्यतया प्रतिवर्ष कुछ छात्रों के अन्तिम कक्षा



उत्तीर्ण करने अथवा विद्यालय छोड़ देने के कारण इनके अभिभावक साधारण सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि प्रतिवर्ष नवीन सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् जुलाई के तृतीय अथवा चतुर्थ सप्ताह में साधारण सभा की बैठक बुलाकर कार्यकारिणी समिति के अभिभावक सदस्यों का नियमानुसार मनोनयन करवा लिया जाये।


कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित पंचायती राज व्यवस्था/नगरपालिका व्यवस्था यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से 3 सदस्यों का ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकार मनोनयन करवाया जाना है कि उनमें से एक सदस्य सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक द्वारा नामित होना चाहिये व कम से कम एक सदस्य महिला व एक एस.सी./एस.टी. वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। इस श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी सदस्य के निर्वाचित नहीं रहने अथवा अन्य कारणों से कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं रहने की स्थिति में भी कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन करवाया जाना आवश्यक है, परन्तु पुनर्गठन के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिस श्रेणी के सदस्य का पद रिक्त हुआ है, पुनर्गठन के समय भी उसी श्रेणी के सदस्य का मनोनयन करवाया जावे। प्रत्येक नवीन निर्वाचन के पश्चात् कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन इस श्रेणी के सदस्यों के सन्दर्भ में किया जाना आवश्यक है।

राज्य/सम्भाग/जिला स्तर पर सम्मानित सर्वाधिक राशि देने वाले कोई भामाशाह यदि समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करता हो तो उनको भी समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाना है। यदि ऐसा कोई भामाशाह समिति के कार्यक्षेत्र में निवास नहीं करता तो यह पद रिक्त रहेगा।

5वीं/8वीं कक्षा में अध्ययनरत ऐसे छात्र को भी जिसने पूर्व परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किये हैं, कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना है। सदस्य का यह पद प्रत्येक वर्ष नवीन सत्र प्रारम्भ होते ही पुनः मनोनीत होगा। प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होते ही प्रावधानानुसार छात्र/छात्रा सदस्य का मनोनयन प्रधानाध्यापक द्वारा कर दिया जावे।

कार्यकारिणी समिति में शिक्षा विभाग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए 2 कार्मिकों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाना है। यदि शिक्षा विभाग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए ऐसे कार्मिक समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों तो उनका मनोनयन भी किया जावे।

सामान्यतया कार्यकारिणी समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, परन्तु प्रावधानों के



अन्तर्गत अभिभावकों के अभिभावक नहीं रहने, किसी निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित नहीं रहने एवं छात्र सदस्य के विद्यालय छोड़ देने अथवा कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य के त्याग पत्र दे देने अथवा अन्य कारणों से यदि कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन आवश्यक हो तो दो वर्ष से पूर्व भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी समिति के पुनर्गठन के समय यह ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है कि समिति में जिस श्रेणी के सदस्य का पद रिक्त हुआ है, उसी श्रेणी के सदस्य का मनोनयन प्रावधानों के अनुसार करवाया जावे।

कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

विकास कोष से कराये जाने वाले विकास कार्यों का निर्णय करना, लागत अनुमानित करना, कराये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना व भुगतान को अधिकृत करना।

परिचालन मद में आय व व्यय का जायजा लेना व कुल भार विशेष मद में आय वांछनीय व्यय से कम होने पर विद्यार्थियों से फीस वसूल करने पर विचार कर फीस की दरों के प्रस्ताव साधारण सभा को अनुमोदनार्थ प्रेषित करना।

वार्षिक बजट पारित करना।

समिति की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्विति करना।

अन्य कार्य जो समिति के हितार्थ हो, करना।


कार्यकारिणी समिति की बैठकें

कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी को किसी भी समय बैठक बुलाने के निर्देश देने का अधिकार होगा जिसकी अनुपालना अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में करना अनिवार्य होगा।

बैठक का कोरम कार्यकारिणी समिति की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा परन्तु ऐसी किसी बैठक जिसमें 50,000 रुपये से अधिक के व्यय का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसमें अभिभावकों के प्रतिनिधि मनोनीत जन प्रतिनिधि व छात्र प्रतिनिधि सहित सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्याश्यक बैठक कम से कम समय तीन दिन की सूचना पर बुलायी जा सकेगी।



बैठक में निर्णय यथा सम्भव सर्व सम्मति से व सर्व सम्मति से न होने पर निर्णय बहुमत से होगा ।

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकरियों के अधिकार व कर्तव्य :

1. अध्यक्ष

1. बैठक की अध्यक्षता करना ।

2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

3. बैठक आहूत करना ।

4. समिति का प्रतिनिधित्व रना ।

5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

6. आय-व्यय पर नियंत्रण करना व कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना ।

2. सदस्य सचिव

1. बैठकें आहूत करने की सूचना जारी करना ।

2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना ।

3. अधिकृत मामलों में समिति का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना ।

4. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो भी आवश्यक हो ।

समिति का कोष :

समिति द्वारा विकास कोष व परिचालन कोष अलग-अलग निम्न प्रकार से संचित किये जावेंगे :-

1. विकास कोष

1. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि

2. अभिभावकों व नागरिकों से विकास कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान सहायता ।

3. अन्य पूँजीगत प्रकृति की आय ।

नोट : यदि विकास कोष में योगदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तो उसके अनुमानित मूल्य का हिसाब भी लेखों में रखा जावेगा ।

2. परिचालन कोष

1. चन्दा ।

2. शुल्क प्रति छात्र या अन्यथा प्राप्त ।

3. राजकीय सहायता ।



4. अन्य अपूँजीगत प्राप्तियाँ।

3.

1. उक्त प्रकार से दोनों कोषों की संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में अलग-अलग खाते में रखी जायेगी।

2. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन सम्भव होगा।

समिति का अंकेक्षण

समिति के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण चार्टर्ड लेखाकार से करवाया जायेगा।

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के विस्तृत काय एवं उत्तरदायित्व :

बालक/बालिकाओं के नामांकन सम्बन्धी कार्य :

1. 6-14 वर्ष के समस्त बालक/बालिकाओं को विद्यालय/अनौपचारिक केन्द्र में नामांकन करवाना।

2. बालकों व बालिकाओं के ठहराव युक्त नामांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना।

4. अनामांकित बालक/बालिकाओं का विवरण तैयार करना।

5. ग्राम शिक्षा रजिस्टर को प्रतिवर्ष अद्यतन करना।

6. ठहराव रजिस्टर का संधारण करना

7. न्यून नामांकन एवं ठहराव के कारण एवं निदान।

विद्यालय सम्बन्धी कार्य :

1. बालक-बालिकाओं की संख्या के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध करवाना।

2. विद्यालय के सुचारू संचालन में सहयोग करना।


3. मासिक बैठकों में समस्त सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

4. शाला भवन नहीं है या अपर्याप्त है तो भवन की व्यवस्था में सहयोग करना।

5. विद्यालय में शौचालय-मूत्रालय व पीने के पानी की व्यवस्था करना।

6. विद्यालय में शैक्षिक, सह-शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यक सामान उलब्ध करवाना।

7. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनसे शाला विकास में सहयोग लेना।



शिक्षकों की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य

1. शिक्षकों की कमी है तो उनकी पूर्ति के लिये ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से पत्र व्यवहार करना।

2. अनियमित तथा शिक्षण कार्य नहीं कराने वाले शिक्षकों के परिष्कार का प्रयास करना।

3. वैकल्पिक विद्यालयों के लिये पैराटीचर की व्यवस्था करवाना।

4. समुदाय शिक्षक का चयन करना।

भौतिक विकास सम्बन्धी कार्य :

1. विद्यालय में निर्माण कार्य करवाना।

2. विद्यालय का रख-रखाव सुनिश्चित करना।

3. अन्य सुविधाओं हेतु डी.पी.ई.पी./एस.एस.ए. को प्रस्ताव भेजना व कार्य करवाना।

निर्माण कार्यों के लिये SDMC की तीन प्रमुख समितियाँ हैं :-

(i) क्रय समिति (ii) लेखा समिति (iii) पर्यवेक्षण समिति


| क्रम सं. | समिति | दायित्व | पर्यवेक्षण का समय | विशेष विवरण |
|----------|------------|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | क्रय समिति | <p>(i) विद्यालय में निर्माण कार्यों हेतु स्थानीय/ब्लाक स्तर पर बाजार दरें प्राप्त करना।</p> <p>(ii) न्यूनतम दरों पर गुणवत्तापूर्ण/मानकीकृत सामान की खरीद करना</p> <p>(iii) साधारण सभा में की गई कार्यवाही की लिखित जानकारी प्रस्तुत करना</p> <p>(iv) निर्माण कार्यों हेतु जन सहभागिता से नकद, श्रम अथवा सामग्री के रूप में मदद प्राप्त करना।</p> <p>(v) स्थानीय कुशल कारीगरों को काम पर लगाना।</p> | <p>(i) वस्तुओं का क्रय करने से पूर्व एवं आपूर्ति की जाने के समय।</p> <p>(ii) उपयोग के समय।</p> | <p>(i) यदिसम्भव हो तो सभी भुगतान चैक द्वारा ही किए जाए।</p> <p>(ii) सभी क्रय प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए।</p> |



| | | | | |
|----|------------------|--|--|--|
| 2. | पर्यवेक्षण समिति | <p>(i) निर्माण कार्यो हेतु आवश्यकता का आंकलन कर उपयुक्त स्थान का निर्धारण करना ।</p> <p>(ii) प्रतिदिन होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच करना ।</p> <p>(iii) निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करना ।</p> <p>(iv) कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता से निर्माण कार्य का ले आऊट/ नक्शा व व्यय का तकमीना प्राप्त करना तथा तदनु रूप निर्माण कार्य करवाना ।</p> | <p>(i) लगभग प्रतिदिन निर्माण कार्य व उसमें प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करना ।</p> | आवश्यकतानु रूप कनिष्ठ अभियन्ता से तकनीकी जानकारी/सलाह लेना । |
| 3. | लेखा समिति | <p>(i) SDMC की समस्त आय-व्यय का लेखा-जोखा निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करना व साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत कर व्यय राशि का अनुमोदन करवाना ।</p> <p>(ii) अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर साधारण सभा में उसका प्रस्ताव व धन प्राप्ति के माध्यमों/दानदाताओं की जानकारी प्रदान करना ।</p> <p>(iii) कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित समय में उपयोगिता प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित करना ।</p> | <p>(i) व्यय का साप्ताहिक रिकॉर्ड तैयार व संधारित करना</p> | लेखों का प्रतिवर्ष आडिटर से आडिट करवाना |

वित्तीय प्रबन्धन :

1. विद्यालय को प्राप्त राशि पर नियन्त्रण रखना ।
2. निर्धारित समय पर राशि खर्च करना ।
3. प्रावधान अनुसार राशि खर्च करना ।



4. खर्च/उपयोग राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाना।

5. औपचारिक विद्यालयों हेतु अतिरिक्त पैराटीचर की व्यवस्था करना।

6. शिक्षकों के लम्बे अवकाश पर वैकल्पिक व्यवस्था करना।

वित्त सम्बन्धी कार्य :

1. प्रतिवर्ष विद्यालय को जारी होने वाली ग्रान्ट्स यथा स्कूल फैसिलिटी ग्रान्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री ग्रान्ट एवं मैण्टेनेन्स एण्ड

रिपेयर ग्रान्ट आदि का जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उपयोग सुनिश्चित करना।

2. भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिये प्राप्त राशि का हिसाब रखना, केश बुक, स्टॉफ रजिस्टर आदि का संधारण करना।

सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य :

1. समुदाय से विद्यालय को जोड़ने के लिये समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

2. बाल-मेलों, महिला बैठकों, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना।

आवश्यक दस्तावेज का संधारण एवं रख-रखाव सम्बन्धी कार्य :

1. परिवार सर्वेक्षण, ब्यौरा, ग्राम शिक्षा रजिस्टर, ग्राम का नजरी नक्शा, गोश्वारा आदि का संधारण एवं रख-रखाव।

2. बैठक रजिस्टर का रखा जाना एवं प्रत्येक बैठक का प्रतिवेदन लिखना।

3. भवन निर्माण मरम्मत आदि में खर्च का ब्यौरा रजिस्टर रखना।

4. दानदाताओं का राशि सहित ब्यौरा रखना।


लेखा संधारण :

1. लेखा नियमों के अन्तर्गत लेखा संधारण करना।

2. आय-व्यय में पारदर्शिता बनाये रखना।

3. रोकड़ पंजिका, लेजर संधारण, बजट कण्ट्रोल रजिस्टर संधारण। आय-व्यय विवरण पंजिका संधारण, बैंक रिकन्सीलेसन रजिस्टर संधारण, लेखा सम्बन्धी पत्रावली संधारण।

4. आय एवं व्यय लेखों की ऑडिट करवाना।




शाला मानचित्रण एवं सूक्ष्म नियोजन सम्बन्धी कार्य :

1. विद्यालय परिक्षेत्र का निर्धारण करना ।
2. शैक्षिक एवं भौतिक स्थितियों का आंकलन करना ।
3. नजरी नक्शा तैयार करना ।
4. 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु सूक्ष्म योजना बनाना ।

सामुदायिक सहभागिता :

1. प्रत्येक बैठक में हिस्सा लेना ।
2. अनामांकित बच्चों के नामांकन में सहयोग करना ।
3. लेखा कार्य का नियमित संधारण करना ।
4. शैक्षणिक व्यवस्था हेतु योजना बनाना ।
5. गत बैठक के निर्णयों का अनुमोदन करना ।
6. शैक्षिक विकास से सर्वाधिक कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत/सम्मानित करना ।




भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता निर्धारण

समय : 12.00 से 1.00 व 2.00 से 3.00

6

| क्रम सं. | निर्माण कार्य | गुणवत्ता निर्धारण हेतु मापदण्ड | विशेष विवरण |
|----------|----------------------------------|--|--|
| 1. | स्थान निर्धारण (साइट सलेक्शन) | (i) स्थान का निर्धारण SDMC द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की सहमति से किया जाएगा। | कनिष्ठ/सहा. अभि. अनुपयुक्तता के आधार पर SDMC द्वारा निर्धारित स्थान को निरस्त या बदलने का अधिकार रखते हैं। |
| 2. | नीव (फाउन्डेशन) | (ii) नीव न्यूनतम 3' x 3' की या कठोर सतह (i) आने तक खोदी जाय तदुपरान्त नीव भराई का कार्य किया जाय। (iii) नीव में 3 फुट चौड़ाई 6 इंच मोटाई में 1 : 4 : 8 में सीमेन्ट कंक्रीट की जाय। गिट्टी की मोटाई 40 एमएम हो। (iv) द्वितीय खसके में दोनों तरफ पुनः 3'' छोड़ते हुए 1'3'' तक पत्थर की चुनाई की जाय। | (i) सीमेन्ट 43 ग्रेड का स्टैंडर्ड कम्पनी का ही काम में लिया जाय। (ii) नीव में गिट्टी डालकर उसकी अच्छी कुटाई भी की जाय। (iii) गिट्टी भरने से पहले नीव की पानी से तराई की जाय। (iv) नीव में पत्थर की चुनाई की कोपिंग सीमेन्ट मसाले से करने के बाद दो-तीन दिन तराई करने के बाद ही मिट्टी भरी जाएं। |
| 3. | कुर्सी (पिलिंथ) | (i) जमीन लेवल के पश्चात् 15 इंच चौड़ाई की 2 फुट ऊँचाई तक पत्थर की चुनाई की जाय। यह कुर्सी लेबल कहलाएगा। (ii) कुर्सी लेबल पर 15 इंच चौड़ाई में डी.पी.सी. का कार्य आरसीसी 1 : 2 : 4 में 4 इन्च मोटाई में किया जाय। इसमें क्रेशर गिट्टी 20 एमएम की हो। (iii) यदि आरसीसी नहीं की जा सकें तो पत्थर के दासे भी लगाए जा सकते हैं। | (i) कुर्सी की ऊँचाई स्थान विशेष के अनुसार तय होगी। (ii) कुर्सी चुनाई के 24 घन्टेपश्चात् कम से कम 10 दिन तराई अवश्य की जाय। |
| 4. | चुनाई | (i) चुनाई कुर्सी लेबल आने पर, फर्श के नीचे (i) मिट्टी भराई का कार्य किया जाय व इसमें पानी डालकर इसकी अच्छी कुटाई की जाय। | चुनाई की गई दीवार की नियमित तराई अवश्य की जाय। |



- (ii) कुर्सी के ऊपर चुनाई भवन की 11 फुट ऊँचाई व 12 इंच चौड़ाई में सीमेन्ट के 1 : 6 के मसाले से की जाय।
- (iii) चुनाई में प्रत्येक रददे में 4.5 फिट की दूरी पर हैदर पत्थर की दीवार की पूरी मोटाई में लगाया जाय।
- (iv) बरामदों के खम्भों की चुनाई में भी हर 3 फुट की ऊँचाई पर दीवार की पूरी मोटाई के अनुसार न्यूनतम 4 इंच मोटाई वाली पट्टी की बेड प्लेट अवश्य लगाई जाए।




5. खिड़की दरवाजे

- (i) भवन में खिड़की, कुर्सी से 2 फुट ऊँचाई पर लगावें जिससे बच्चों को पूर्ण हवा मिल सकें। खिड़की का साईज 4 × 5 फुट एवं दरवाजा 4 × 7 फुट का रखा जावें। भवन में रोशनदान रखे जावें जो लोहे के 2 × 2 फुट साईज के मच्छर जाली सहित बनाये जावें। खिड़की में भी मच्छर जाली लगावें। खिड़की के पल्ले अन्दर खुलते रखें।
- (ii) दरवाजे, खिड़की लकड़ी के नहीं लगावें, लोहे की ही बनवाएं जावें। सभी दरवाजों/खिड़की की फ्रेम 40×40×50 एम.एम. की एंगल में बनावें तथा होल्ड फास्ट 6" हैण्डल 16" तथा 4" - 6" की लम्बाई से कम नहीं रखें। कब्जे अच्छे लगाएं तथा दरवाजों/खिड़की के पलडे 20 गेज की एम.एस. शीट (चद्दर) में बनावें। पलडों में पीछे तिरछे एंगल में सपोर्ट भी लगावें तथा खिड़की की ग्रिल से अक्षर, वर्णमाला, ज्यामिति आकृति आदि 12 एम.एम. सरिये का बनावें।
- (i) खिड़क/दरवाजे इस प्रकार लगाए जाए जिन्हें छात्र/छात्राओं द्वारा आसानी से खोला जा सकें।
- (ii) खिड़की/दरवाजों के हैण्डल व कुन्दे बच्चों की पहुँच के अनुरूप लगाए जाने चाहिए।
- (iii) पल्लों की चौड़ाई इतनी हो कि वे खुलने पर दीवार से बाहर न निकलें।





(6) लिन्टल





- (i) दरवाजे व खिड़की पर लिन्टल की मोटाई (i) यदि पत्थर पट्टी के लिन्टल लगाए जाए तो उनका पेदा साफ होना चाहिये।
ओपनिंग का दसवां भाग रखें व लम्बाई आर.सी.सी. के लगाने पर उनकी 10 दिनों तक नियमित तराई की जाय।
दरवाजे व खिड़की के साईज के अलावा (ii) दोनों तरफ 6 इंच की बियरिंग रखते हुए मेडा (लिन्टल) रखा जावे। (iii) खिड़कियों व दरवाजों पर छज्जे एक समान ऊँचाई पर ही लगाए जाएं।
- (ii) खिड़कियों पर छज्जे भी रखे जावें।
छज्जे की लम्बाई खिड़की से दोनों तरफ 6 इंच की बियरिंग रखथे हुए 24 इंच चौड़ाई में लगाए जावें एवं छज्जों के पत्थर पर 2 इंच सीमेन्ट गिट्टी 1:3:6 में की जावें, तथा कोपिंग एवं टपक बनाई जावें।
- (iii) बरामदे के खम्भों के बीच में साठ पौंड (60 पौंड) की रेल का चिला (रेल की लाईन) लगाई जावें उस पर मेडा पत्थर लगाया जावे अथवा खड़ी पट्टी के जोड़े का लगावें व बीच में मसाला गिट्टी भरें।



7.(a) छत

- (i) कमरे में दो गॉर्डर 12'' x 5 साईज की जिसका वजन 44.2 किलो प्रति मीटर हो काम में ली जावें। गॉर्डर की लम्बाई कमरे की बाहरी दीवार तक ली जावें। गॉर्डर पर श्रीवान पट्टी की लम्बाई में रखा जावें। टुकड़ों में न रखें। गॉर्डर पर रेड आक्साईड करके ही चढ़ाई जावें।
- (ii) कमरे व बरामदे पर पट्टियाँ अच्छी किस्म की 3½ से 4'' इंच मोटाई में दीवार की आधी चौड़ाई तक रखी जावें। पट्टियों की मोटाई पूरी लम्बाई में एक समान हो एवं पेदा साफ हो।






- (iii) गॉर्डर रखते समय गॉर्डर के नीचे 5 इंच मोटी पत्थर की बेड प्लेट्स रखी जावें।
- (iv) पट्टियाँ के ऊपर कड़े का कार्य छोटी पक्की ईंटों से सीमेन्ट मसाला 1 : 4 में घेरा बनाकर किया जावें। कड़े की तराई कम से कम 10 दिन तक कराई जावें।
- (v) छत के कड़े पर गॉर्डर वाले स्थान पर ईंट की मुंडेर 9' x 9' सीमेन्ट मसाला 1 : 4 में बनावें जिससे गार्डर पर दबाव पड़ सकें।
- (vi) कड़े पर मोजाईक टाइल्स सीमेन्ट मसाला 1 : 4 में लगावें तथा 1 : 3 सीमेन्ट मसाला जोईन्ट में भरें। छत के चारों ओर गोला भी सीमेन्ट में बनाएं।

7.(b) आर.सी.सी. कार्य :-

- (i) सपोर्ट (बल्लियाँ) सीधी, ऊपर व नीचे आरी से काँटे व समतल हो। कमजोर व दीमक लगा सपोर्ट नहीं लगाया जावे।
- (ii) आवश्यकतानुसार ब्रेसिंग लगाये जावें।
- (iii) वर्टिकल (खड़ी) व होरीजोन्टल (पड़ी) शटरिंग साफ-सुथरी हो, जिससे फिनिशिंग ठीक आवें।
- (iv) जोइंट्स पर जी.आई. शीट अथवा गत्ते लगाकर सील करें।
- (v) लोहा (सरिये) डिजाइन अनुसार बाँधा व मोड़ा है या नहीं, जाँच करें। कम्प्रेसन व टेंशन बार की बारीकी से जाँच करें। लोहा इस प्रकार बंधावे कि कंकरीट डालने के बाद वाइब्रेटर लगाने में कठिनाई नहीं आवें।
- (vi) कंकरीट डालने से पूर्व लोहे व शटरिंग की रिकॉर्ड एण्ट्री आवश्यक है।



(vii) लोहा बाइंडिंग वायर के दोहरे तार से अच्छी तरह बाँधा जावें।

(viii) कॉलम बीम व स्लेब हेतु क्रमशः

40 एम.एम., 25 एम.एम. व 20

एम.एम. के कवर ब्लाक्स लगाये।

(ix) सीमेन्ट, बजरी व रोड़ी (गिट्टी) के मिक्स का अनुपात व पानी तथा सीमेन्ट अनुपात का पूरा ध्यान रखा जावें।

(x) बाइब्रेटर (प्लेट व निडिल) इतना चलावे कि स्लरी बाहर न निकले व वाइड्स भी न रहे।

(xi) स्केफोल्डिंग मजबूत हो व कंकरीट के समय नीचे आदमी न रहे।

(xii) बिजली व सैनेटरी हेतु आवश्यक स्थान छोड़े।

(xiii) कंकरीट की तराई पूरे समय करें।
सही समय सायंकाल व प्रातः है। तराई हेतु क्यारी बनावें। कॉलम व लिल्ल, बीम हेतु टाट बाँधें।

(xiv) शटरिंग बिना सक्षम अधिकारी की उपस्थिति के न खोले।

(xv) शटरिंग खोलते ही आवश्यकतानुसार रेडरिंग की जावें।


(xvi) कंकरीट की कोम्प्रेसिंग स्ट्रेंथ जाँचने हेतु सैम्पल क्यूब भरें। (7 दिवस व 28 दिवस हेतु तीन-तीन क्यूब)

8. प्लास्टर

(i) भवन का प्लास्टर कार्य सीमेन्ट मसाला 1 : 6 में किया जावे। बाहर के प्लास्टर में डिजायन कनिष्ठ अभियंता के निर्देशानुसार डाली जावें।

(i) प्लास्टर के लिए बारीक बजरी का इस्तेमाल किया जाय।

(ii) प्लास्टर की कम से कम 10 दिन तराई अवश्य की जाय।



9. ब्लैक बोर्ड

- (i) कमरे व बरामदे में ब्लैक बोर्ड 6 फुट लंबा एवं 4 फुट ऊँचा, 2 इंच बोर्ड के साथ बनाया जावें। कमरे में आमने-सामने दो ब्लैक बोर्ड बनावें व बरामदे में एक बनावें। ब्लैक बोर्ड के नीचे कोटा स्टोन की 5 इंच चौड़ाई में डस्टर प्लेट पूरी लम्बाई (बोर्ड के बराबर) में लगावें।

- (i) ब्लैक बोर्ड हेतु बारीक छनी हुई रेत का इस्तेमाल किया जावें तथा गुरमाले से अच्छी घुटाई की जाय।
- (ii) कम से कम एक सप्ताह तक तराई की जाय, तदुपरान्त ही पेन्ट किया जाय।

10. रंग-सफेदी


- (i) भवन के अंदर सफेदी तीन कोट में कराई जावें तथा बाहर पिंक स्नोसम कराया जावें। स्नोसम का कार्य पानी के साथ पूर्ण तराई करा कर करावें।
- (ii) दरवाजों व खिड़कियों पर रेड ऑक्साइड कर एनामल पेन्ट अच्छी किस्म का तीन कोट में करावें। मच्छर जाली पर नीला पेन्ट ही करावें। सभी गॉर्डरों पर काला पेन्ट करावें।
- (iii) भवन पर योजना का मोनोग्राम एवं स्कूल का नाम, योजना वर्ष आदि पक्के पेन्ट से पेन्टर द्वारा लिखावें। इसके पश्चात् भवन के फोटोग्राफ्स, जिसमें सामने का एलिवेशन एवं अन्दर के फोटो खिंचवाई जावें। इसकी दो प्रतियाँ बनावें।




11. जल संरक्षण (वर्षा जल संग्रहण टांका)

- (i) जिन क्षेत्रों में भूगर्भिक जल की कमी हो/ घुलनशील हानिकारक रासायनिक तत्व जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक आदि हो ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण किया जाय।

- (i) टांके से पानी निकालने के लिये उसके ऊपर हैंडपम्प लगाया जाय। सीधे रस्सी बाल्टी से पानी निकालने से पानी प्रदूषित हो जाता है।



- (ii) निर्मित टांकों में छत व बरामदों के पानी को प्लास्टिक पाइप के माध्यम से फिल्टर करने के पश्चात् टांके में संग्रहित किया जाय।



12. वर्षा जल पुनर्भरण संरचना


- (i) जिन क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है तथा वर्षा भी पर्याप्त होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा जल को भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण हेतु काम में लिया जाय।
- (ii) वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण व उपयोग के दौरान आवश्यक सावधानियों का विस्तृत विवरण हस्तप्रति में दिया गया है।
- (i) वर्षा जल पुनर्भरण संरचना निर्माण तकनीक हस्तप्रति में देखें।

13. शौचालय निर्माण

- (i) प्रत्येक विद्यालय में निर्मित शौचालयों का नियमित उपयोग छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा किया जाय।
- (ii) उनके ताले नहीं लगाए जाएं।
- (iii) शौचालयों की छात्र/छात्राओं के सहयोग से नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- शौचालयों की साफ-सफाई हेतु विद्यालय में स्वच्छता स्काउट्स के दल बनाए जाएं।

14. उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- (i) कार्य की पूर्णता पर उपयोग की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र द्वारा, सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षर करवा कर जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।



- (ii) अन्तिम किस्त के भुगतान हेतु कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र व्यय विवरण, निर्माण कार्य के दो फोटोग्राफ एवं शाला प्रबन्धन समिति की बैठक में किए गए व्यय के अनुमोदन प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर जिला कार्यालय में प्रेषित करने पर ही भुगतान देय होगा।

15. विद्यालय परिसर में शेष निर्माण सामग्री/ अनुपयोगी या बेकार सामग्री का उपयोग

विद्यालय के निर्माण कार्यपूर्ण होने के पश्चात् शेष बची निर्माण सामग्री का सदुपयोग पेड़-पौधों के चारों ओर चबूतरा निर्माण में, व्यर्थ पानी हेतु सोखता गड्ढा निर्माण में या विद्यालय परिसर के मैदान में नक्शे आदि बनाने में किया जा सकता है।